कुरुक्षेत्र

जून, 1986 मूल्य : 1.50 रु०

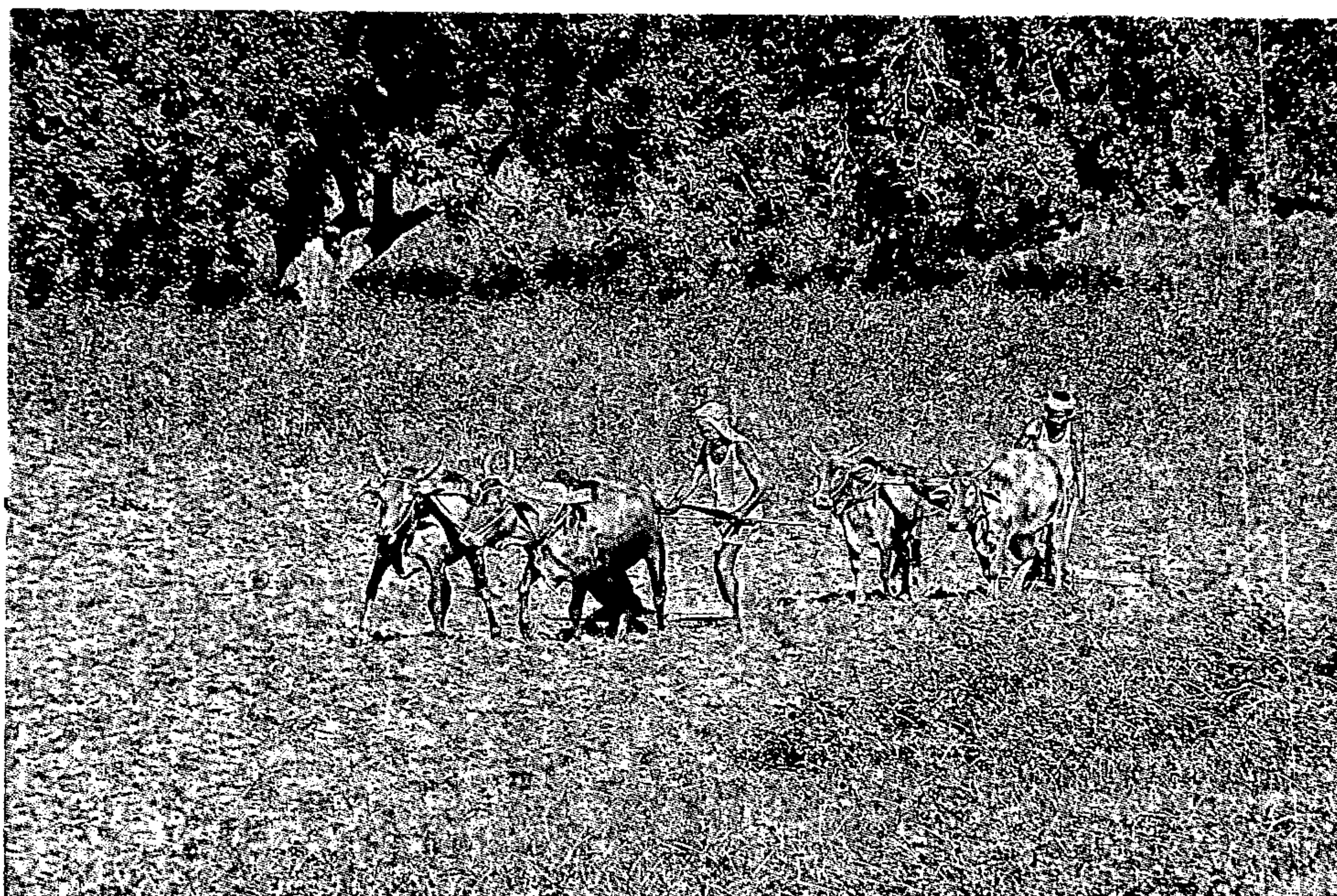

सातवीं योजना में हर जिले में एक मॉडल स्कूल

केन्द्र का सातवीं योजनावधि के दौरान देशभर में प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल (नवोदय विद्यालय) खोलने का प्रस्ताव है । राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे इन स्कूलों को शुरू करने के लिए समुचित भूमि व भवनों का पता लगाएं ।

इन मॉडल स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य समानता व सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, प्रतिभावान बच्चों को अपनी क्षमताओं के विकास का अवसर देना तथा विद्यालय पर्यावरण के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है । इन व्यापक उद्देश्यों के अन्दर इसके विशेष लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(क) मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के कुशाग्र बच्चों को उनकी पारिवारिक-सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विचार किये बिना नैतिक मूल्यों का विकास करते हुए अच्छे स्तर की आधुनिक शिक्षा देना और उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना ।

(ख) देशभर में हिन्दी और अंग्रेजी जैसे सामान्य माध्यमो से शिक्षा उपलब्ध कराना ।

(ग) समान मुख्य पाठ्यक्रम के माध्यम से स्तर की तुलनात्मकता सुनिश्चित करना तथा देश के लोगों की एक सी व मिली-जुली धरोहर के बारे में समझ को बढ़ाना ।

(घ) हर स्कूल में देश के एक भाग से दूसरे भाग के बच्चों को लाना ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले और उनमें सामाजिक गुणों का विकास हो ।

(ङ) शिक्षकों को जीवन्त परिस्थितयों में प्रशिक्षण तथा अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा देकर स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के मुख्य केन्द्र के रूप में काम करना ।

ये प्रवेश परीक्षाएं अधिकांश रूप से लिखित होंगी और ये इस तरह की परीक्षाएं होंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र भी कोई असुविधा महसूस किए बिना प्रतियोगिता में भाग ले सकें । चयन के लिए एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाएगी और इस योग्यता स्तर से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों में से ही मॉडल स्कूल में प्रवेश पाने वाले बच्चों को चुना जाएगा । इन स्कूलों में सह-शिक्षा का प्रबन्ध होगा और मुख्य रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए होंगे । इसलिए शहरी क्षेत्र से भर्ती किये जाने वाले बच्चों की संख्या कुल छात्रों की संख्या के एक चौथाई तक ही सीमित होगी ।

स्कूल में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या संबधित जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या के अनुपात में होगी लेकिन किसी भी स्थिति में इन सुरक्षित स्थानों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होगी । यदि इन दोनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के छात्र प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उस श्रेणी के स्थानों को दूसरी श्रेणी के अर्हता प्राप्त छात्रों से भरने का प्रावधान भी रखा जाएगा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी के छात्रों को उनके लिए सुरक्षित स्थानों के अनुसार प्रवेश दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश परीक्षा में उनके लिए अलग से न्यूनतम अंक निर्धारित किए जा सकते हैं ।

मॉडल स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क होगी और इसके साथ रहने, खाने, वर्दी, कापियों-किताबों, लेखन सामग्री तथा घर से रेल एवं बस की सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी ।

ये सभी स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध होंगे । स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए दो सेक्शन होंगे और प्रत्येक सेक्शन में अधिक से अधिक 40 छात्र होंगे । ये कुल कक्षा छः से कक्षा बारह तक होंगे । स्कूलों में सभी छात्रों के लिए होस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । इन स्कूलों में पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाएं तथा रेडियो, टेलीविजन एवं माइक्रो कम्प्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा के उपकरणों की पर्याप्त रूप से व्यवस्था की जाएगी ताकि स्कूल की सभी कक्षाओं के छात्र इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें । स्कूलों में मानविकी विषयों, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक, चार प्रकार की शाखाओं में शिक्षा देने का प्रबन्ध होगा । स्कूलों में शारीरिक शिक्षा खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, ललित कला, प्रोजेक्ट तैयार करने तथा शिक्षा, संस्कृति और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में भ्रमण करने को भी बढ़ावा दिया जाएगा । स्कूल के छात्र ही कक्षाओं, होस्टल और स्कूल परिसर की सफाई करेंगे और स्कूल में वृक्ष लगायेंगे । छात्रों में श्रम की गरिमा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे । होस्टलों में छात्रों का जीवन शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा ।

मॉडल स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाएगी और उनका स्थानान्तरण एक स्कूल से दूसरे में हो सकेगा । सेवा काल के दौरान शिक्षकों के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित क्षेत्रीय शिक्षा कालिज जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे । केन्द्रीय विद्यालयों, राज्य सरकार एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के योग्य शिक्षकों की भी सेवाएं इन स्कूलों में लेने का प्रस्ताव है । □

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए ।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु.
वार्षिक चन्दा : 15 रु.

संपादक : जयन्त जहांगीर सिंह
सहायक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उपसम्पादक : घनश्याम मीणा

सहायक निदेशक (उत्पादन) : राम स्वरूप मुंजाल
तकनीकी सहायक : सतीश कुमार अरोड़ा
आवरण पृष्ठ : मेघजी परमार

आवरण चित्र एवं रंगीन (बीच के) चित्र } फोटो प्रभाग से साभार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 31 | ज्येष्ठ-आषाढ़ 1908 | अंक 8

इस अंक में — **पृष्ठ संख्या**

सातवीं योजना में हर जिले में एक मॉडल स्कूल — आवरण पृष्ठ 2
मध्य प्रदेश में कृषक बेरोजगारी और अपूर्ण-रोजगार — 2
डा. हेमचंद जैन
म.प्र. में पशुधन एवं मत्स्यपालन की उज्ज्वल संभावनाएं — 9
पंकज शुक्ल
सामाजिक वानिकी : आवश्यकता एवं स्वरूप — 10
डी.के. बाजपेयी, बी.के. श्रीवास्तव
उपभोक्ता संरक्षण — 14
शम्भुनाथ मिश्र
विकलांग भविष्य (कहानी) — 18
प्रमीला ओझा
कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु परिव्यय एवं प्रावधान — 22
डॉ. नरेश चन्द्र त्रिपाठी
गो-संवर्धन बनाम समृद्धि — 24
डॉ. देवदत्त शुक्ला
कृषि वृद्धि के आधार हमारे जंगल — 28
प्रभा पंड्या
दो रास्ते (कविता) — 29
नवीन जोशी
अनुष्ठान गीत — 32
तारादत्त निर्विरोध
स्वर्ग बने हर गांव — 32
शून्यआकांक्षी
नेह बरसाओ — आवरण पृष्ठ 3
अखिलेश्वर

मध्यप्रदेश में कृषक बेरोजगारी और अपूर्ण-रोजगार

समस्या एवं निदान

डॉ. हेमचंद जैन

मध्यप्रदेश में रोजगार समस्या की मौजूदा स्थिति के लिये आबादी वृद्धि, औद्योगीकरण की कम रफ्तार और कृषि में अपर्याप्त विकास मूल रुप से उत्तरदायी है । समस्या है : आर्थिक ढांचे में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिये श्रमशक्ति को किस प्रकार उपयोग में लाएं, जो अधिकतम रोजगार संवर्द्धन में मदद कर सके । प्रदेश की विकसित कृषि के लिये कृषि क्षेत्र से भारी आबादी का भार कम होना जरुरी है, परंतु वर्ष 1961, 1971 और 1981 के जनगणना आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि राज्य की कृषि पर से आबादी का दबाव नगण्य रुप से कम हुआ है । शहरी क्षेत्रों से रोजगार कम निर्मित होने से यह अच्छा ही रहा है कि ग्रामीण बेरोजगार शहरों को पलायन न करके शहरी बेरोजगारी बढ़ाने में अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं तथा कृषि ही अपने क्षेत्र के लोगों को कार्य के लिहाज से समाहित कर रही है । पूंजी का पर्याप्त विनियोजन न होने के कारण भी, आद्योगीकरण की रफ्तार भी राज्य की जरुरतों के आकार के मुताबिक न होने के कारण, रोजगार के अवसरों का सृजन पर्याप्त संख्या में नहीं हुआ है । विकास का ऐसा मार्ग सुनिश्चित किया गया, जिससे आर्थिक संवृद्धि दर की उच्चता के साथ-साथ रोजगार के नये अवसरों को शीघ्रता से तथा पर्याप्त मात्रा में प्रदान करना मुख्य कार्य था ।

मध्यप्रदेश में 'रोजगार' आयोजन का एकमात्र लक्ष्य न होते हुए भी मुख्य लक्ष्यों में से एक है । इन योजनाओं के द्वारा प्रदेश में पर्याप्त रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करके, बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयास किया है । राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण आय तथा उत्पादकता के हिसाब से लोगों को यद्यपि भौतिक रुप में रोजगार प्राप्त है, परन्तु आर्थिक रुप में अपूर्ण रोजगार की श्रेणी में आते हैं । इस कारण से पूर्ण रोजगार प्रदान करना अधिक जरुरी है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होकर, राष्ट्रीय औसत के बराबर लोगों की आमदनी हो सके । प्रदेश में बेरोजगारी की अपेक्षा अपूर्ण रोजगारी की समस्या ज्यादा गंभीर है । यह समस्या वर्तमान में उतनी व्यापक नहीं है जो तनाव एवं संघर्ष को जन्म दे सके, राजनैतिक संरचना एवं आन्तरिक शांति के लिये खतरा पैदा कर सके, इसके साथ-साथ बेरोजगारी जनशक्ति के द्वारा भी कम महसूस की जाती है, लेकिन जैसे-जैसे बेरोजगार व्यक्तियों की समझ और जागरुकता बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे इस समस्या के लिये शासकीय कार्यक्रमों और नीतियों को उत्तरदायी समझने लगता है ।

प्रदेश में प्रत्येक योजनाकाल के अंत में बेरोजगार और अल्प-रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में बढ़त यह इंगित करता है कि योजना के प्रमुख उद्देशों में से रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य में अपेक्षित सफलता कम प्राप्त हुई है । योजनाओं की अवधि में रोजगार के इतने अवसरों को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार उपलब्ध हो सके ।

प्रथम-द्वितीय पंचवर्षीय योजना : प्रदेश में रोजगार की स्थिति से

संबधित जानकारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त से लेकर उपलब्ध है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में अनुमान लगाया गया था कि 2 लाख 75 हजार व्यक्ति बेरोजगार हैं। 1956 से 1961 तक की अवधि में श्रमिक शक्ति में 6 लाख 66 हजार नये रोजगार ढूंढने वाले व्यक्तियों का प्रवेश हुआ। इस तरह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 9 लाख 41 हजार थी, परंतु इसके विपरीत, राज्य की अर्थव्यवस्था योजनावधि में कुल 4 लाख 48 हजार व्यक्तियों को ही रोजगार के नये अवसर प्रदान कर सकी। अनुमान लगाया गया कि इनमें से 4 लाख 21 हजार नौकरियां तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से अकृषिक क्षेत्र में निर्माण की गयीं और 27 हजार व्यक्तियों को कृषि में रोजगार उपलब्ध हुआ था। इस योजना के अन्त में रोजगार लक्ष्य और उपलब्धि के वास्तविक अवसरों के मध्य का अंतर 4 लाख 93 हजार था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना : राज्य तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में 13 लाख 33 हजार नये लोगों को काम की आवश्यकता थी। इसमें श्रमिक शक्ति में 8 लाख 40 नये प्रवेष्टा तथा द्वितीय योजना के अंत में रह गये 4 लाख 93 हजार बेरोजगार शामिल थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में राज्यीय योजना के फलस्वरुप 5 लाख 30 हजार व्यक्तियों तथा केन्द्र द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं तथा निजी क्षेत्र में 3 लाख 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य था। इसमें से अकृषिक क्षेत्र में 6 लाख 72 हजार तथा कृषिक क्षेत्र में 1 लाख 68 हजार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य था।

चौथी पंचवर्षीय योजना-रोजगार अनुमानों की नई पहल : राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाते समय, रोजगार की स्थिति को सही-सही मापने के लिये, जानकारी के तीन स्रोत उपलब्ध थे (1) 1961 के जनगणना परिणाम (2) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16 वें दौर के परिणाम (3) रोजगार दफ्तरों से उपलब्ध आंकड़े, जो इस बात का मोटा अन्दाज देते हैं कि शहरी क्षेत्रों में अपनी सीमाओं सहित बेरोजगारी कितनी है, तकनीकी वजह से राज्य स्तर पर बेरोजगारी कितनी है, इसका अनुमान लगाने के लिये जनगणना की आधार सामग्री का उपयोग करना उचित नहीं समझा गया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मुताबिक राज्य स्तर पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में, बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16 वें चक्र के परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों के संबध में तथा शहरी क्षेत्रों के लिये रोजगार दफ्तरों के मौजूदा रजिस्टरों में उपलब्ध आंकड़े काम में लाए गये। इन दोनों स्रोतों के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 5 से 5 लाख 40 हजार तक बेरोजगार थे। प्रदेश में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अनुसार तीसरी योजना में श्रमिक शक्ति में 14 लाख 60 हजार की वृद्धि हुई। दोनों अनुमानों को जोड़ने पर, राज्य की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का आकार 19 लख 60 हजार से 20 लाख के आसपास था। प्रदेश की तीसरी योजना में 9 लाख 23 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सका। राज्य में चौथी योजना के प्रारंभ में बेरोजगारों की संख्या 10 लाख 37 हजार से 11 लाख 77 हजार तक अनुमानित की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्रमिक शक्ति में 25 लाख 16 हजार व्यक्तियों की वृद्धि होने का अनुमान था। इस प्रकार चतुर्थ योजनावधि में, प्रदेश में 35 लाख 53 हजार से 36 लाख 93 हजार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराना था। इस योजना के दौरान राज्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा केन्द्रीय परियोजनाओं के मार्फत 34 लाख 56 हजार रोजगार अवसरों में वृद्धि अनुमानित की गई थी। बेरोज़गारी की संख्या योजना के अंत तक 97 हजार से 1 लाख 37 हजार तक रह जाने की आशा की गई थी लेकिन संभावना यह थी कि इस योजना के अंत तक 30 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकेगा और कम से कम 6 से 7 लाख बेकार नौकरी की अपेक्षा ही करते रह जायेंगे।

अपूर्ण रोजगार का अनुमान : प्रदेश में बेरोजगारी से अधिक गंभीर समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या है। वर्ष 1961 के कुल बेरोजगारों में से 29.5 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में है तथा जो कार्यशक्ति में शामिल होते है, उनमें से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश : 15.5 तथा 84.5 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 9वें चक्र से बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिये आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं, परंतु प्रादेशिक स्तर पर मध्यप्रदेश के अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय के जरिये, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा 15 वें चक्र से ही बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगारी पर सामग्री इक्ट्ठी की गई है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16वें दौर (1960-61) में एकत्र किये तथ्यों पर आधारित विश्लेषण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 14 प्रतिशत के पास सप्ताह में 30 घण्टे से कम और अन्य 11 प्रतिशत लोगों के पास 31 से 40 घण्टों तक काम था।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा अल्प-रोजगार संबंधी धारणा हेतु विकसित तीव्र अल्प-रोजगार, साधारण अल्प रोजगार और नाममात्र अल्प-रोजगार व्याख्याओं के आधार पर वर्ष 1960-61 में 16 वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 14 प्रतिशत तीव्र अपूर्ण रोजगार तथा 11 प्रतिशत साधारण अपूर्ण रोजगार श्रेणी में अल्प रोजगार प्राप्त लोग प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में थे। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में काम में लगे व्यक्तियों की प्रदेश में संख्या 1 करोड़ 53 लाख 12 हजार थी और इस आधार पर अतिरिक्त काम के लिये उपलब्ध "तीव्र अपूर्ण-रोजगार" लोगों की संख्या 21 लाख 53 हजार तथा "साधारण अपूर्ण-रोजगार" लोगों की संख्या 15 लाख 77 हजार कृषिक क्षेत्र में

थी । यह अकृषिक क्षेत्र में 22.02 लाख और 20.99 लाख क्रमश: था ।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ-प्रद रोजगार के काम के दिनों की संख्या को 16 वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दौर के आंकड़ों के अनुसार सर्वेक्षण सप्ताह में कुल काम करने वाले लोगों में से 14.03 प्रतिशत लोग पांच दिन या उससे कम काम पर थे । यदि उन्हें आंशिक रोजगार प्राप्त माना जाय, तो ग्रामीण क्षेत्र में अपूर्ण रोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 21 लाख 90 हजार थी । इन दो अनुमानों क्रमश : 21.33 लाख और 21.90 लाख का औसत निकालने पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प अथवा अपूर्ण रोजगारों की संख्या 21.62 लाख आती है ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में मौजूद अपूर्ण-रोजगार व्यक्तियों का अनुमान लगाने के लिये जो मापदंड अपनाया था यदि उसे अपनाया जाय, तो प्रदेश में अल्प रोजगारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 37.57 लाख और कृषि क्षेत्र में 37 लाख होती है । मध्यप्रदेश में अपूर्ण-रोजगार की वास्तविक संख्या ग्रामीण क्षेत्र में दोनों अनुमानों का औसत 29.45 लाख थी । तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगारों की संख्या लगभग 30 लाख थी । वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इसी विश्लेषण को लागू करने पर प्रदेश में 130 लाख सक्रिय आबादी में से 25 से 30 लाख अल्प रोजगारी से ग्रसित थे ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी : पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (वर्ष 1978-83) में राज्य शासन ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27 वें दौर, अक्टूबर 72 से सितम्बर 73, की अवधि के आंकड़ों तथा 1971 की जनगणना तथा वर्ष 1973 और 1978 की प्रकल्पित जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में श्रमशक्ति की सहभागीदर, दीर्घकालिक बेरोजगारी इत्यादि को अनुमानित किया । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में वर्ष 71 में कुल श्रमशक्ति 194.10 लाख अनुमानित की, जबकि 1971 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में श्रमिकों की संख्या 152.96 लाख थी । मार्च 1978 तक श्रमिकशक्ति में 228.67 लाख तक वृद्धि अनुमानित की गई तथा दीर्घकालिक बेरोजगारी वर्ष 1971 और 1978 में कुल श्रमिक शक्ति का क्रमश: 0.90 लाख एवं 1.05 लाख अनुमानित की गई । इसी प्रकार राज्य में वर्ष 1971 में श्रमजीवी आबादी 193.70 लाख से बढ़कर वर्ष 1978 में 227.62 लाख आंकी गई ।

प्रदेश में अपूर्ण रोजगार के आकार का अनुमान लगाने के लिये इसी दौर के आकड़ों के आधार पर वर्ष 1972-73 में 7.15 लाख अनुमानित की गई, जो सम्पूर्ण भारत की बेरोजगारी का 3.85 प्रतिशत था । बेकारी की दर प्रदेश में 3.67 प्रतिशत थी । जबकि भारत में यह दर 8.34 प्रतिशत अनुमानित की गई । प्रदेश में बेरोजगारी की दर यथावत मानकर वर्ष 1978 में बेकारी को 8.01 लाख अनुमानित किया गया ।

प्रदेश में आबादी कम और भू-क्षेत्र अधिक होने से जनसंख्या का घनत्व कम है, प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता है, कृषि की प्रधानता तथा आबादी का ग्रामीण आधार बहुलता के कारण, लोगों को किसी न किसी प्रकार का कार्य उपलब्ध रहता है । इस कारण से प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 60.13 प्रतिशत और शहरी अंचलों में 37.95 प्रतिशत लोग कार्यों में संलग्न हैं । ग्रामीण क्षेत्र में 0.06 प्रतिशत आबादी तथा शहरी क्षेत्र में 1.30 प्रतिशत आबादी दीर्घकालीन बेरोजगारी से ग्रसित है । कुल श्रमिक शक्ति में से ग्रामीण क्षेत्र में 2.98 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 4.16 प्रतिशत व्यक्ति रोजगार खोजी और कार्य करने के लिये उपलब्ध थे । बेरोजगारी दर प्रदेश में 3.67 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 8.34 प्रतिशत थी । संक्षेप में राज्य में बेरोजगारी की सीमा गंभीर नहीं है, परंतु प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन की निम्नता, नगण्य प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों का उच्च अनुपात से यह स्पष्ट है कि प्रदेश की आबादी के द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता कमजोर है, जो श्रमिक शक्ति को नियोजित करके केवल न्यूनतम आवयकताओं की भरपाई करने में

(आंकड़े लाखों में)

	1971	1973	दर	1978
1. श्रमिक शक्ति	194.10	204.08	–	228.67
2. श्रमजीवी	193.20	203.15	–	227.62
3. दीर्घकालीन बेरोजगारी				
1. सामान्य स्थिति	0.90	0.93	ບ.46 %	1.05
2. दैनिक स्थिति	6.80	7.15	3.6%	8.01

स्रोत : पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारुप 1978-83, म.प्र. शासन योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, पृष्ठ 62-67

सक्षमता प्रदान करती है । इस प्रकार के रोजगार की संतोषप्रद स्थिति बेरोजगार से ज्यादा खराब होती हैं । पिछले पृष्ठ की सारिणी में प्रदेश में बेरोजगारी तथा अन्य जनसांख्यिकीय आंकड़े दिए गये है :-

प्रदेश की कृषि में श्रम की उपलब्धता, आवश्यक उपयोग और आधिक्य की स्थिति का अनुमान :

आर्थिक और सांख्यिकी संचालनालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कृषि में बेरोजगारी की सीमा को मापने के लिये वर्ष में 300 दिनों से कम रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को बेरोजगार मानकर, बेरोजगारी का अनुमान मानक निर्धारित किया था । इस आधार पर प्रदेश में कृषि में मानव श्रम दिवसों का उपयोग,मानव श्रम दिवसों की उपलब्धता और बेरोजगार दिवसों का वर्ष 1951, 55,61,65,71 और 75 में अनुमानित किया गया जो निम्न सारिणि में दिया गया है ।

2. वर्ष 1965 और 1971 में स्थिति में बदलाव आया । बेरोजगार दिवसों का प्रतिशत घटकर 57.51 और 56.18 हो गया । इसका कारण कृषि में श्रम दिवसों के उपयोग में 3.33 और 6.17 प्रतिशत वृद्धि भी वर्ष 1965 और 1971 में क्रमश : हुई । वर्ष 65 में श्रमशक्ति में 6.11 प्रतिशत कमी श्रम दिवसों के अतिरिक्त में कमी का कारण थे । कृषि में श्रम दिवसों के उपयोग में वृद्धि, फसलों में बदलाव, फसल गहनता में वृद्धि और कतिपय फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अपनाने के कारण, संभव हुई थी ।

3. वर्ष 1975 में पुन : बेरोजगार श्रम दिवसों की कृषि में वृद्धि 59.12 प्रतिशत हो गई । इस क्षेत्र में श्रमशक्ति में जहां 10.28 प्रतिशत वृद्धि हुई वहां श्रम दिवसों में उपयोग वृद्धि 2.90 प्रतिशत ही हुई ।

(आंकड़े लाखों में)

वर्ष	कुल कृषि श्रम शक्ति: संख्या	कुल कृषि श्रम शक्ति: पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी प्रतिशत	अनुमानित श्रम दिवसों की उपलब्धता 300 श्रम दिनों की दर से	कृषि में कुल श्रम दिवसों का उपयोग: संख्या	कृषि में कुल श्रम दिवसों का उपयोग: पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी प्रतिशत	अनुमानित बेरोजगार दिवसों की संख्या: 300 श्रम दिवसों के मानक के अनुसार	अनुमानित बेरोजगार दिवसों की संख्या: प्रतिशत
1951	105.97	–	31791.00	13688.46	–	18102.54	56.94
1955	114.87	8.40	34461.00	15143.02	10.63	19317.98	56.06
1961	134.27	16.89	40281.00	15552.65	2.71	24728.35	61.39
1965	126.06	6.11	37818.00	16070.10	3.33	21747.90	57.51
1971	129.80	2.97	3894.00	17062.13	6.17	21877.87	56.18
1975	143.14	10.28	42942.00	17556.46	2.90	25385.54	59.12
1. वर्ष 15 की तुलना में वर्ष 75 में प्रतिशत अन्तर		35.08	35.08	–	28.26	–	40.28
2. वर्ष 65 में अन्तर		18.96	18.96	–	17.40	–	20.14
3. वर्ष 65 की तुलना में वर्ष 75 में अंतर		13.55	13.55	–	9.25	–	16.73

मध्यप्रदेश कृषि अनुसंधान केन्द्र के द्वारा प्रदेश में वर्ष 1950-51 से वर्ष 1975-76 तक के कृषि विकास अध्ययन प्रतिवेदन में अनुपयुक्त श्रम दिवसों के अनुमान के आधार पर, प्रदेश में कृषिक रोजगारी के संबध में निम्नलिखित निष्कर्ष उल्लेखनीय हैं :-

1. श्रम शक्ति में 16.89 प्रतिशत वृद्धि होने के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत में बेरोजगार दिवसों की वृद्धि हुई । यद्यपि कृषि में कुल श्रम दिवसों की वृद्धि 2.71 प्रतिशत हुई, लेकिन बेरोजगार श्रम दिवसों का प्रतिशत सबसे अधिक अर्थात् 61.39 था ।

4. प्रदेश में कृषि में वर्ष 1951 की तुलना में वर्ष 1965 में जो अधिक उपज देने वाली किस्मों के पहले का समय है और वर्ष 1975 में वर्ष 1965 की तुलना में जो अधिक उपज देने वाली किस्मों के बाद की अवधि है, इन दो अविधियों के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि प्रदेश में बेरोजगार दिवसों की संख्या में कमी हुई है, जो 20.14 प्रतिशत से घटकर 16.73 प्रतिशत हो गयी है । उच्च उपज देने वाली किस्मों के चलन से बेरोजगारी की कमी में सहायता मिली है ।

5. कृषि में बेरोजगार दिवसों में वर्ष 1951 की तुलना में वर्ष 1975 में वृद्धि हुई है परंतु वर्ष 1955 और 1971 में गिरावट परिलक्षित

हुई ।

6. प्रदेश में वर्ष 1975 में 59.12 प्रतिशत खेती में लगे व्यक्तियों में बेरोजगारी थी । वर्ष 1951 की अपेक्षा 1975 में 28.26 प्रतिशत खेती में श्रम दिवसों की वृद्धि हुई, परंतु खेतिहर श्रम शक्ति में इसी अवधि में 35.08 प्रतिशत वृद्धि होने के कारण 40.24 प्रतिशत कृषिक बेरोजगारी में वृद्धि हुई ।

छठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी/अपूर्ण रोजगारी :

बेरोजगारी की स्थिति : साप्ताहिक गातिविधि के आधार पर वर्ष 77-78 में प्रदेश में 3.47 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे तथा दैनिक गतिविधि के आधार पर 5.28 लाख व्यक्ति बेकारी से पीड़ित थे । कुल आबादी (15-59 वर्ष की आयु) का यह प्रतिशत क्रमश : 1.38 और 2.10 था । कुल श्रमशक्ति में से बेरोजगारी का प्रतिशत साप्ताहिक गतिविधि सक्रियता के आधार पर 1.99 तथा दैनिक सक्रियता के आधार पर 3.16 था । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा 32 वें दौर में प्रदेश में वर्ष जुलाई 77 से जून 78 में रोजगार/बेरोजगारी की स्थिति का अनुमान निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है ।

अपूर्ण रोजगार की स्थिति : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32 वें दौर के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में जनवरी 78 में 15-59 आयु की आबादी 250.93 लाख अनुमानित की गई । ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं तथा शहरी पुरुषों एवं महिलाओं की आबादी क्रमश : 105.36 लाख, 102.93 लाख, और 22.72 लाख 20.16 लाख अनुमानित की गई ।

प्रदेश में अनुमानित रोजगार–बेरोजगारी की स्थिति (आयु समूह 15–59)

वर्तमान सक्रियता दशा के अनुसार वर्गीकरण	ग्रामीण				शहरी			
	साप्ताहिक गतिविधि		दैनिक गतिविधि		साप्ताहिक गतिविधि		दैनिक गतिविधि	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1. कुल कार्यशील (रोजगार प्राप्त)	95619	54106	92543	48426	17748	3793	17393	3525
2. कुल बेरोजगारी	1370	1024	2315	1662	909	171	1081	221
3. कुल श्रमशक्ति	96989	55130	94858	50088	18657	3964	18474	3756
4. श्रमशक्ति से बाहर कुल व्यक्ति	8371	47562	10502	52604	4065	16189	4248	16397
5. कुल योग	105360	102692	105350	102692	22722	20153	22722	20153
6. कुल आबादी में से श्रमशक्ति का प्रतिशत	90.75	52.69	87.84	47.16	78.11	18.82	76.55	17.54
7. श्रमशक्ति में शामिल व्यक्तियों में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत	1.41	1.86	2.44	3.32	4.87	4.31	5.25	5.88

संदर्भ : छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1980-85 और वार्षिक योजना 1981-82, म.प्र. शासन, योजना,आर्थिक और सांख्यिकी विभाग खंड-1 पृ. 50-53

"साप्ताहिक गतिविधि" के आधार पर श्रमशक्ति 174.74 लाख अर्थात् 69.74 प्रतिशत और "दैनिक गतिविधि" के आधार पर 167.18 लाख अर्थात 66.62 प्रतिशत अनुमानित की गई । प्रदेश में अल्प रोजगार की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है ।

राज्य	कुल कार्यशील आबादी (लाख)	अल्परोजगार आबादी प्रतिशत	अल्परोजगार आबादी (लाख)	अपूर्ण/अल्परोजगार की दर प्रतिशत में: ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण स्त्री	शहरी पुरुष	शहरी स्त्री	योग
मध्यप्रदेश	171.27	9.37	–	3.21	10.50	2.00	6.80	5.47

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने 27 वें और 32 वें दौर में क्रमश : 1972-73 और 1977-78 में रोजगार और बेरोजगार स्थिति के आंकड़े इकट्ठे किये थे । राज्य स्तर पर दोनों सर्वेक्षणों के परिणामों को निम्नलिखित तालिका में दिया है :-

अतिरिक्त रोजगार अवसरों से आवश्यकता की पूर्ति इस अर्थ में नही होती ये अवसर श्रमिक शक्ति में नये शामिल होने वालों के लिये पर्याप्त नहीं है ।

कुल आबादी में से रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का (15-59 आयु) प्रतिशत

		साप्ताहिक गतिविधि/ सक्रियता के आधार पर				दैनिक गतिविधि/ सक्रियता के आधार पर			
		ग्रामीण		शहरी		ग्रामीण		शहरी	
राज्य	वर्ष	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
मध्यप्रदेश	1972-73	92.81	66.76	75.77	24.15	90.51	64.26	74.16	22.24
	1977-78	90.75	52.69	78.11	18.82	87.84	47.16	76.55	17.54

संदर्भ : सातवें दशक में रोजगारी /बेरोजगारी की भारत में स्थिति

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27 वें दौर के सर्वेक्षणों पर आधारित तुलनात्मक अध्ययन के उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 72-73 की तुलना में वर्ष 77-78 में, राज्य में ग्रामीण पुरुषों में रोजगार का स्तर कम हुआ है जबकि शहरी पुरुषों में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है । ग्रामीण और शहरी स्त्रियों में रोजगार स्थिति में गिरावट परिलक्षित हुई है । शहरी पुरुषों को छोड़कर शेष सभी में कार्य में भाग लेने की दर में कमी हुई है ।

राज्य में बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिये, ऐसी रोजगार उन्मुख नीतियों का पालन करना जरुरी है, जिससे शीघ्र सक्रिय रोजगार पैदा होने के नतीजे दिखाई दे सकें । उत्पादन की सम्पूर्ण संरचना को श्रम गहन आधार प्रदान करके तथा विकास को रोजगार के साथ जोड़कर भविष्य में बेरोजगारी के बढ़ते आकार पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है । राज्य में संसाधनों के दोहन की सीमितता को देखते हुए, तथा पिछली उपलब्धियों के संदर्भ में, मौजूदा बेकारी,

कुल आबादी (15-59 आयु) में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत

		साप्ताहिक गतिविधि के आधार पर				दैनिक गतिविधि के आधार पर			
		ग्रामीण		शहरी		ग्रामीण		शहरी	
राज्य	वर्ष	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
मध्यप्रदेश	1972-73	1.40	1.94	3.61	1.47	2.54	3.02	4.28	1.65
	1977-78	1.30	1.00	4.00	0.85	2.19	1.62	4.76	1.09

राज्य में शहरी पुरुषों को छोड़कर शेष ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं तथा शहरी महिलाओं में बेरोजगारी की दर गिरी है । राष्ट्रीय स्तर की तुलना में इन दो अवधियों में राज्य की बेकारी समस्या बढ़ने की अपेक्षा गिरी है । अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी पुरुषों और शहरी स्त्रियों में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है ।

प्रदेश में अब तक जो रोजगार के अवसर निर्मित किये गये हैं, वे किसी भी अर्थ में महत्वहीन नहीं हैं । परंतु निर्मित किये गये अल्प रोज़गारी के लक्ष्यों को प्राप्त करना चुनौती पूर्ण दायित्व राज्य के संमुख है । ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का राष्ट्रीय आधार पर प्रदेश में क्रियान्वयन तथा समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिये, जिसने नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम में अहम भूमिका का निर्वाह किया है, के कारण राज्य बेकारी की समस्या के क्षेत्र में मर्यादित आकार के भीतर है तथा संतोष कर सकता है ।

1981 का जनगणना प्रतिवेदन और बेरोजगारी की स्थिति

वर्ष 1971-81 के दशक में प्रदेश में 56 लाख 20 हज़ार और

बेरोजगार हो गए हैं । मार्च 1981 तक राज्य में कुल बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख 7 हजार हो गई है । इस दशक में राज्य की श्रमशक्ति में 48.7 लाख बढ़त होकर 2 करोड़ 6 हजार ही गई है वर्ष 1961-71 के दशक में बेरोजगारों का अनुपात कुल जनसंख्या का 62.28 प्रतिशत था, यह घटकर वर्ष 1971-81 के दशक में 60.50 प्रतिशत रह गया । इन बेरोजगारों में कुल जनसंख्या का 4.27 प्रतिशत या 22.2 लाख वे श्रमिक भी शामिल हैं जो विशेष रुप से फसलों के मौसम के दौरान सीमान्त श्रमिक के रुप में कार्य करते हैं । इन्हें छोड़कर राज्य की कुल जनसंख्या के 57.24 प्रतिशत श्रमिक बेरोज़गार हैं । बेरोजगारों का प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में काफी अधिक है । प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का बेरोजगार प्रतिशत 70.45 है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का बेरोजगार प्रतिशत 53.88 है । प्रदेश की 1981 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 521.4 लाख में से 200.7 लाख अर्थात 38.49 प्रतिशत श्रमशक्ति का भाग है । पुरुष जनसंख्या 268.6 लाख में से 143.5 लाख पुरुष श्रमिक और स्त्री जनसंख्या 252.8 लाख में से केवल 57.2 लाख ही स्त्री श्रमिक हैं ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना :

छठी पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे–गरीबी उन्मूलन और बेकारी को दूर करना । प्रदेश की सातवीं योजना में राष्ट्रीय योजना के मुताबिक ही अनाज, काम और उत्पादकता पर मुख्य जोर दिया गया है । इस कारण से विकास उपागम एवं व्यूह रचना को ऐसा विकसित किया गया है, जिससे बढ़ता हुआ कृषि उत्पादन तथा महत्वपूर्ण रोजगार अवसरों का सृजन होकर उच्च एवं दीर्घकालिक संवृद्धि दर प्राप्त हो सके । इससे गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी और अन्तत : आम लोगों के रहन-सहन के स्तर में बढ़ोतरी होगी । अतएव राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकताएं, कार्यक्रमों और लक्ष्यों का निर्धारण गरीबी शमन के अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है । यद्यपि प्रदेश की यह योजना भी रोजगारोन्मुख है, परन्तु योजना प्रतिवेदन में रोजगारी, बेरोज़गारी एवं अपूर्ण रोजगारी के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुमानों का विवरण न देने के कारण छठी, योजना के अंत में बेकारी का आकार, सातवीं योजना अवधि में बढ़ी हुई श्रमशक्ति को रोजगार और रोजगार प्रदाय की योजना के अंत में स्थिति की जानकारी अप्राप्त है । प्रदेश का योजना प्रतिवेदन मौन है । अधिकृत अनुमान के अभाव में इस संबध में योजना उपलब्धि के मूल्यांकन ठोस निष्कर्ष प्रदान नहीं करते हैं । □

वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्र
ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

गांव मे महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन

ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में ट्राइसेम अर्थात् गांव के युवाओं को स्वयं रोजगार के लिए प्रशिक्षित् करने का कार्यक्रम् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसलिए यह निर्विवाद रूप से आवश्यक हो जाता है कि युवतियों को इस कार्यक्रम में चुना जाए और प्रशिक्षित किया जाए जिससे वह अपनी आय में वृद्धि करके गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें । बहुत से परिवारों में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं ऐसा पाया जाता है कि महिलाएं स्वयं रोजगार करने में समर्थ हैं लेकिन स्वभावत : शर्मीली व संकोची होने के कारण वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पातीं अत : इस बात के लिए सक्रिय प्रयास आवश्यक है कि उपयुक्त युवतियों का इस कार्यक्रम के लिए चुनाव करके उन्हें स्वयं कोई रोजगार करने के लिए प्रेरित किया जाए । स्थान विशेष की परिस्थितियों, मांग व वहां पर सामान की उपलब्धि के अनुरूप महिलाओं के लिए इस प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर पर होनी चाहिए ।

आजकल जब महिलाए हर प्रकार के कार्यों में बराबर से भाग ले रही हैं तो यह कहना मुश्किल है कि कौन सा रोजगार उनके लिए उपयुक्त होगा और कौन सा नहीं फिर भी निम्नलिखित कुछ ऐसे रोज़गार हैं जिन्हें वे सरलतापूर्वक थोड़े प्रशिक्षण के बाद कुशलता से कर सकती हैं और अपनी आय बढ़ा सकती हैं–

बीज संरक्षण, सब्जियां उगाना, मशरुम की खेती, फूल उगाना, मुर्गी पालन, सुअर या भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, डेरी का कार्य, मछलियां पालना, हाथ के काम, कपास रेशम व उन कलाई व बुनाई का काम, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई व छपाई आदि का काम, कागज बनाने का काम, साबुन, दियासलाई, बीड़ी बनाने का काम, केन व बांस का काम, जूट का काम, खिलौने बनाने का काम, अनाज, मसालों व सब्जियों के संभालने व सुखाने का काम, बेकरी का कार्य, पशुओं व मुर्गी पालन केंद्रो के लिए चारे व दाने का सामान तैयार करना, घड़ी के पुर्जे जोड़ना व पुरानी घड़ियों की मरम्मत करना एवं नर्स का काम आदि हैं ।

महिला मण्डल व अन्य दूसरी समाजसेवी संस्थाऐं उपरोक्त कार्यों में महिलाओं की सहायता कर सकती हैं । ग्राम सेविकाओं व मुख्यसेविकाओं के सहयोग से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की यह महिलाएं अपना स्तर सुधार सकती हैं । □

(नरचर से साभार)

मध्य प्रदेश में पशुधन एवं मत्स्यपालन की उज्ज्वल संभावनाएं

पंकज शुक्ल

मध्य प्रदेश में पशु विकास योजनाओं का सबसे बड़ा हिस्सा छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं हरिजन-आदिवासियों के लिए रखा गया है, ताकि वे इनके माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा सकें और जल्दी से जल्दी गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर राष्ट्र की प्रगति यात्रा में सम्मिलित हो सकें।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत दुधारू पशु, भेड़ बकरी, सूअर, कुक्कुट इत्यादि पालने के लिए सरकार इन्हें सहायता प्रदान करती है। छोटे एवं सीमान्त किसानों को भी सरकार अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराती है।

प्रदेश में वर्ष 1981 की पशु संगणना के अनुसार पशु धन की संख्या 4.30 करोड़ है। जिसमें 2.70 करोड़ गोवंशीय, 84 लाख भैंस वंशीय, दस लाख भेड़, 76 लाख बकरियां, पांच लाख शूकर एवं 15 लाख अन्य पशु सम्मिलित हैं।

सातवीं योजना में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम

प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 3220 हजार मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन, 90 करोड़ अण्डा उत्पादन तथा 9.50 लाख किलोग्राम ऊन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने योजना काल में 770 पशु औषधालय तथा 12 पालीक्लीनिक स्थापित करने का निश्चय किया है। इस विस्तार से जहां छठी योजना में 25 लाख प्रजनन योग्य मादाओं के लिए प्रजनन की सुविधाएं उपलब्ध थीं वहीं अब सातवीं योजना में 30 लाख प्रजनन योग्य मादाओं को उन्नत प्रजनन सुविधा सुलभ कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। पशु रोग नियन्त्रण के क्षेत्र में भी प्रदेश ने काफी काम किया है और 1985 के अन्त में प्रदेश में 23 पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं कार्यरत थीं। सातवीं योजना में 23 पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह सुविधा सुलभ हो सके। सातवीं योजना में सात उन्नत दुधारू पशु उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के साथ-साथ पांच नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रमों की स्थापना भी की जाएगी। हिमीकृत वीर्य से प्रजनन सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 700 केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य भी सातवीं योजना में रखा गया है।

पशुओं के उपचार और औषधि वितरण को और अधिक व्यापक बनाने के लिए सातवीं योजना में 100 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। जायेंगे।

पशु रोगों के प्रतिबन्धात्मक टीका द्रवों के उत्पादन के लिए राज्य में जैविक संस्थान महू में कार्यरत है। इस संस्थान में 17 प्रकार के टीका द्रवों का उत्पादन होता है। इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ टीकों की मात्राओं का उत्पादन किया जाता है जिससे राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती ही है साथ ही प्रदेश के बाहर की मांग को भी पूरा किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हताईखेड़ा (भोपाल) में हाई सिक्युरिटी एनीमल डिसीज लैब की स्थापना की जा रही है। इसके लिए पशुधन विभाग द्वारा 134.89 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है। इस संस्थान की स्थापना से पशुधन में लगने वाली नई-नई बीमारियों का सही निदान हो सकेगा और बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलेगी। यह प्रयोगशाला विश्व में चौथी तथा एशिया में प्रथम होगी।

वर्ष 1985-86 में हिमीकृत वीर्य द्वारा उन्नत पशु प्रजनन का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। प्रथम चरण में 195 इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम के तहत सात तरल नाइट्रोजन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इस अवधि में भोपाल और नरसिंहपुर तरल नाइट्रोजन संयंत्र द्वारा तरल नाइट्रोजन का उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है। अन्य पांच संयंत्रों को भी चालू साल में प्रारम्भ की जाने की संभावना है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न व्यक्तिमूलक कार्यक्रमों तहत 54281 आदिवासी तथा 84209 हरिजन हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

पशुधन विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 33.73 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस राशि में से सामान्य आयोजन मद में 18.21 करोड़, आदिवासी उपयोजना मद में 10.12 करोड़ रुपये तथा हरिजन विशेषांश योजना मद में 5.40 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

प्रदेश में आम नागरिकों और विशेषकर हरिजन, आदिवासी और पिछड़े तबके के लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और खाद्यान्न की कमी की पूर्ति के लिए शासन द्वारा मत्स्यपालन एवं

(शेष पृष्ठ 20 पर)

सामाजिक वानिकी : आवश्यकता एवं स्वरूप

डी.के.बाजपेयी
बी.के. श्रीवास्तव

वन जहां एक ओर जलवायु, भूमि की बनावट एवं वर्षा को प्रभावित करते हैं वहीं दूसरी ओर घेरलू उपभोग के लिए इमारती लकड़ी, ईंधन, हेतु काष्ठ, चारा, औषधि हेतु जड़ी बूटियां, गोंद, शहद आदि हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं । अनेक उद्योग जैसे कागज, रेजिन, तारपीन, कत्था एवं प्लाईवुड फर्नीचर, कच्चे माल के लिए वनों पर ही आधारित हैं । वन सम्पदा को बनाए रखने एवं दोषपूर्ण ढंग से वनों का कटान रोकने के उद्देश्य से वर्ष *1952* में केन्द्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय वननीति की घोषणा की गयी, इस राष्ट्रीय वननीति के अनुसार सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का *33.3 %* क्षेत्रफल वनों से आच्छादित होना चाहिए । इसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में *60%* वन क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में *20%* क्षेत्रफल वनों से ढका होना चाहिए । उत्तर प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल *51294* वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल *17.4%* ही है । पर्वतीय क्षेत्रों में जहां *66%* भूमि वनों के अन्तर्गत आती है, केवल *41%* क्षेत्र पर ही वन हैं । प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में केवल *7%* भूमि ही वनों से ढकी है । इस प्रकार जहां राष्ट्रीय वननीति के अनुसार प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल बहुत कम है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण वनों का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है । अत : अब यह आवश्यक हो गया है कि वनों के कटान पर अंकुश लगाया जाये एवं वनीकरण की योजनाओं को भली-भांति क्रियान्वित किया जाये ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में वनीकरण को विशेष महत्व दिया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना से पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक 599040 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया था । छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1980-85 के बीच 226606 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया था । छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण संतुलन एवं प्रदूषण निवारण, दैनिक आवश्यकता हेतु ईंधन-काष्ठ उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने हेतु वृक्षारोपण योजनाओं पर विशेष बल दिया गया है । राज्य सरकार ने इससे पूर्व वर्ष 1976 में केन्द्र सरकार के निर्देश एवं सहायता से निम्न दो योजनाएं प्रारम्भ की थीं ।

(1) मिश्रित वृक्षारोपण एवं निम्न वर्गीय वनों का पुन : वनीकरण ।
(2) शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण ।

उपरोक्त दोनों योजनाएं 1978-79 तक ही चलाई गई थीं । इसके उपरान्त प्रदेश में वनीकरण को सघन एवं तीव्रतर करने के प्रयोजन से वर्ष 1978-79 में विश्व बैंक की सहायता से एक वृहद कार्यक्रम "सामाजिक-वानिकी" के नाम से प्रारम्भ किया गया । इस योजना का प्रथम चरण वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक के पांच वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया था । इस प्रायोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :

(1) स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जलाने हेतु ईंधन की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए चारा, खली एवं घरेलू उपभोग के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना ।
(2) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वनाधारित उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।
(3) पर्यावरण में सुधार करना ।

प्रायोजना प्रारूप के अन्तर्गत प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :
(क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में

संचालित करने के लिए उपयुक्त संगठन का गठन करना ।

(ख) ग्रामीण जनता में वनीकरण के लाभों को प्रदर्शित करना ।

(ग) 48600 हैक्टेयर सार्वजनिक/ग्रामीण भूमि पर वृक्षारोपण करना

(घ) स्थानीय लोगों से सहयोग प्राप्त करके इन्हें सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना ।

उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 1979 से विश्व बैंक की सहायता से 42 मैदानी जनपदों में सामाजिक वानिकी प्रायोजना प्रारम्भ की गयी है । इन जनपदों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2 प्रतिशत क्षेत्र ही वनों से ढका है तथा प्रति व्यक्ति वनों की उपलब्धता 0.01 हैक्टेयर ही है । परियोजना के अन्तर्गत 42 जनपदों को निम्न पांच क्षेत्रों में बाँटा गया है :–

(1) अवध क्षेत्र, लखनऊ

(2) सरयू क्षेत्र, फैजाबाद

(3) पूर्वांचल क्षेत्र, वाराणसी

(4) ब्रज भूमि क्षेत्र, आगरा

(5) पश्चिमी क्षेत्र, बरेली

सामाजिक वानिकी का संगठन

प्रदेश में सामाजिक वानिकी प्रायोजना के संचालन हेतु वन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में सामाजिक वानिकी निदेशालय का गठन किया गया । इस निदेशालय के सर्वोच्च अधिकारी निदेशक हैं । यह निदेशालय सामान्य रूप से प्रमुख वन-संरक्षक के अन्तर्गत कार्यरत है । इस निदेशालय के अन्तर्गत दो प्रकार के संगठनों का विकास किया गया है । प्रथम कार्यान्वयन इकाइयां, ये क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करेंगी, जो क्रमशः क्षेत्रीय निदेशक, प्रभागीय निदेशक एवं वन रोपण अधिकारी के नेतृत्व में गठित हैं । द्वितीय, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित कराने हेतु निदेशालय के अधीन कुछ विशेष इकाइयों का भी गठन किया गया है, जो इस प्रकार हैं ।

(1) नियोजन एवं सूचना इकाई

(2) प्रशिक्षण, शोध और प्रसार

(3) अनुश्रवण इकाई

इन इकाइयों के कार्यों के लिए कुछ विशेष क्षेत्रीय उपसमितियां भी गठित हैं, जैसे–प्रशिक्षण, शोध एवं प्रसार के अन्तर्गत कानपुर में वनविदों के प्रशिक्षण के लिए एक इकाई एवं आजमगढ़ और आगरा में वन रक्षकों के लिए दो प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है । इसके अतिरिक्त शोध कार्य के लिए हस्तिनापुर (मेरठ), कुकरैल (लखनऊ), मऊनाथभंजन (आजमगढ़) में शोध संस्थान स्थापित किए गये हैं । क्षेत्रीय स्तर पर उप वन रक्षक स्तर के क्षेत्रीय निदेशक का पद सृजित किया गया है । क्षेत्रीय स्तर पर अधीनस्थ प्रभागों के कार्यों के पर्यवेक्षण कार्य के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय संचार इकाई के गठन का भी प्रावधान है । सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र को 30 प्रभागों में विभाजित किया गया है । प्रत्येक प्रभाग में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभागीय निदेशक नियुक्त किए गये हैं और उनके सहायतार्थ एक सहायक निदेशक (नियोजन) का पद प्राविधित है । प्रत्येक प्रभाग के कार्यक्षेत्र को पांच रेन्जों में बाटा गया है, प्रत्येक रेन्ज में एक रेन्ज अधिकारी और 5 से 8 वन रक्षक नियुक्त किये गये हैं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक रेंज में एक सहायक रेन्जर (नर्सरी) एवं दो मालियों के पद भी प्राविधित हैं ।

प्रदेश में सामाजिक वानिकी प्रायोजना की प्रगति

उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी प्रायोजना वर्ष 1979-80 में ही प्रारम्भ कर दी गयी थी, परन्तु इस प्रायोजना को विश्व बैंक के अन्तर्गत सम्मिलित करने की औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए इसका

तालिका –1 प्रायोजना पर छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का परिव्यय (लाख रु. में)

मद	आवंटित धन राशि	विभिन्न वर्षों में आवंटित धनराशि				
		1980-81	1981-82	82-83	83-84	84-85
वेतन एवं भत्ते	710	95	120	140	160	195
औजार एवं मशीन	115	30	40	10	15	20
भवन	270	30	50	60	60	70
वृक्षारोपण	3220	350	610	700	760	800
अन्य कार्य	560	80	100	110	125	145
योग	4875	585	920	1020	1120	1230
कुल आवंटित धनराशि से %	100.00	12.0	18.9	20.9	23.0	25.2

स्रोत–छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85

अनुमोदन जून 1979 में प्राप्त हुआ था। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 में किये गये व्यय को भी इस प्रायोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार योजनाकाल के पांच वर्षों (1980-81 से 1984-85) तक के लिए 48.75 करोड़ रुपये परिव्यय हेतु स्वीकृत किये गये थे, जिसका विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

यदि वर्ष 1979-80 को प्रायोजना में सम्मिलित कर लिया जावे तो वर्ष 1979-80 से 1984-85 तक छः वर्षों की अवधि के लिए कुल परिव्यय 5225 लाख रुपये आता है। वर्ष 1982-83 तक 4 वर्षों के लिए 2874 लाख रु. आवंटित किया गया था, जो छः वर्षों के लिए कुल परिव्यय का 55 प्रतिशत होता है, जैसा तालिका 2 से स्पष्ट है।

जिसमें से केवल 18.9% ही वर्ष 1979-80 में व्यय हुई सामाजिक वानिकी का यह प्रथम वर्ष था, अत: व्यय की धनराशि का प्रतिशत कम है। शेष दो वर्षों में 81.10 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी। इन्हीं तीन वर्षों में इस प्रायोजना के लिए 2373.60 लाख रुपये आवंटित किये गये थे, जिनका व्यय लगभग शत प्रतिशत रहा। अत: उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में सामाजिक वानिकी प्रायोजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से व्यय की गयी धनराशि विवेकपूर्ण ढंग से व्यय की गयी है।

वृक्षारोपण की प्रगति

प्रायोजना के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों में वृक्षारोपण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छठी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण के लिए कुल 605000 हैक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें वर्ष

तालिका–2 **प्रायोजना के लिए परिव्यय एवं व्यय का वर्षवार विवरण : (लाख रु.)**

वर्ष	परिव्यय	आवंटन	व्यय धन राशि	आवंटन से व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय प्रतिशत
1979-80	350	350	348.16	99.47	18.9
1980-81	585	580.87	574.22	98.85	31.2
1981-82	920	929.80	919.77	98.92	49.9
1982-83	1020	1012.93	–	–	–
1983-84	1120	–	–	–	–
1984-85	1230	–	–	–	–
योग	5225	2873.60	1842.15	–	–
प्रतिशत	–	55%	35.3%	–	100

स्रोत : सामाजिक वानिकी निदेशालय अभिलेख

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1979-80 से 1981-82 तक तीन वर्षों में 1842.15 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी, 1979-80 की उपलब्धि को आधार मानते हुए छः वर्षों का कुल लक्ष्य 68571 हैक्टेयर होता है, जैसा कि तालिका 3 में दिया गया है:

तालिका–3 **वृक्षारोपण की वर्षवार प्रगति का विवरण**

वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	पूर्ति का लक्ष्य से प्रतिशत	कुल उपलब्धि
1979-80	8071	8071	100.00	18.8
1980-81	7000	8721	125.00	20.3
1981-82	10000	11958	120.00	27.8
1982-83	13500	14237	185.00	33.1
1983-84	14500	–	–	–
1984-85	15500	–	–	–
योग	68571	42987	63.0	100.00

स्रोत : सामाजिक वानिकी निदेशालय अभिलेख

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक सभी वर्षों में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही है । वर्ष 1979-80 से 1984-85 तक 68571 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, इसमें 63 प्रतिशत की पूर्ति प्रथम चरण चार वर्षों में ही हो गयी । इस प्रकार प्रदेश में यह प्रायोजना संतोषजनक ढंग से चल रही है ।

वृक्षारोपण के निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति का विश्लेषण करने से पूर्व यह उल्लेख भी किया गया है । इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने से पूर्व यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि भूमि वर्गानुसार लक्ष्य का विवरण कुल 46500 हैक्टेयर के लिए उपलब्ध है, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 60500 हैक्टेयर रखा गया था । भूमि वर्गानुसार लक्ष्य और उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 4 में दिया गया है :

वृक्षारोपण नहीं कर सकता । ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं का सहयोग लेकर किया जा सकता है, जो सामान्यत: नहीं किया गया है, क्योंकि इस कार्य में कई कारणों से जटिलताएं एवं कठिनाइयां अनुभव की गयी हैं । निम्न वर्गीय भूमि पर सभी वर्षों में सर्वाधिक उपलब्धि प्राप्त हो रही है । इसका मुख्य कारण है कि यह भूमि वन विभाग के ही अन्तर्गत आती है तथा इसमें कोई औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है । अत: स्पष्ट है कि इस प्रकार की भूमि पर ही सबसे अधिक वृक्षारोपण हो रहा है ।

प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वृक्षारोपण की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई हैं, परन्तु यहां यह ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि रोपित वृक्ष भली-भांति विकसित हो रहे हैं या नहीं । इसकी सुरक्षा के लिए बाड़ें आदि की भी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि पशु इन्हें हानि न पहुंचा सकें । ग्रामीण स्तर

तालिका-4 विभिन्न भूमि वर्गों पर लक्ष्य एवं उपलब्धता का वर्षवार विवरण (हैक्टेयर में)

भूमि वर्ग	निर्धारित लक्ष्य प्रतिशत में	वर्षवार प्रगति 1979-80	1980-81	1981-82	योग	प्रतिशत
रेलवे के किनारे	8.6	738 (9.2)	875 (10.0)	1179 (9.9)	2792	9.7
सड़क के किनारे	15.0	2166 (26.8)	2195 (25.2)	3267 (7.3)	7628	26.5
नहर के किनारे	34.4	1475 (18.3)	482 (17.0)	595 (13.3)	4552	15.8
ग्राम सभा की भूमि	13.1	504 (6.2)	669 (7.7)	1245 (10.4)	2418	8.4
निम्नवर्गीय भूमि	29.9	2526 (31.3)	2661 (30.5)	4330 (36.2)	9517	33.2
अन्य भूमि	–	662 (8.2)	839 (9.6)	342 (2.9)	1843	6.4
योग	100.0	8071(100.0)	8721(100.0)	11958(100)	28750 (100.0)	100.0

स्रोत :–निदेशालय अभिलेख (कोष्ठक में प्रतिशत दिये गये हैं)

परियोजना में नहर के किनारे वृक्षारोपण को प्रथम स्थान दिया गया था, परन्तु उपलब्धि में निम्नवर्गीय भूमि पर वृक्षारोपण प्रथम स्थान पर है । नहर के किनारे वृक्षारोपण 16 प्रतिशत है, जबकि लक्ष्य 34 प्रतिशत रखा गया था । इसका प्रमुख कारण वृक्षारोपण के लिए नहर की भूमि की प्राप्ति में नहर विभाग द्वारा औपचारिकताओं में विलम्ब प्रतीत होता है । ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण की उपलब्धि भी निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है, लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है, कि प्रतिवर्ष उपलब्धि में उल्लेखनीय सफलता मिल रही है । ग्राम समाज की भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि जो भूमि अभिलेखों में ग्राम समाज की दर्शायी गयी है, वह भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है । इसका प्रमुख कारण गांवों में इस भूमि पर अवैध कब्जे हैं, जिन्हें वन विभाग आसानी से हटाकर

पर जलाने की लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए ऐसी प्रजातियों का वृक्षारोपण करना चाहिए, जिनसे ईंधन के लिए लकड़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके । ग्रामीणों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु वृक्षारोपण के लिए भूमि की तैयारी करने एवं वृक्ष-रोपण में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए । इसके उपरान्त जब वन तैयार हो जाये तो ग्रामीणों को वनाधारित उद्योगों के लिए प्रेरित करना चाहिए । इससे एक ओर वनों का उचित उपयोग भी होगा, दूसरी ओर ग्रामीणों में यह भावना भी जागृत होगी कि वनों को सुरक्षित रखा जाये । इस प्रकार वनों का विकास भी होगा एवं रोजगार के अधिक अवसर भी उपलब्ध होंगे । गांवों में विद्यालयों के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिनसे सामाजिक वानिकी के लाभों

(शेष पृष्ठ 15 पर)

उपभोक्ता संरक्षण

—शम्भुनाथ मिश्र

हर इन्सान को रहने के लिए घर और पहनने के लिए वस्त्र के अलावा जीवित रहने के लिए भोजन भी चाहिए । बीमार पड़ने पर दवा की भी जरूरत पड़ती है । देखा जाए तो किसी भी परिवार की लगभग पचास प्रतिशत आमदनी भोजन और दवाओं पर खर्च होती है ।

कई बार ऐसा होता है कि भोजन के लिए हम जो अनाज और मसाले आदि खरीदते हैं, उनमें मिलावट होती है । यही स्थिति दवाओं की भी है । मिलावट के अलावा अक्सर नकली और घटिया स्तर की दवाएं मिलती हैं । ऐसी हालत में, न केवल मिलावटी भोजन और दवाओं पर खर्च होने वाली रकम बरबाद जाती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है । मिलावटी खाद्य पदार्थों से हमें एक ओर शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते और दूसरी ओर बीमारियां पैदा होती हैं । जाहिर है, नकली दवाएं खाकर आदमी स्वस्थ होने की बजाय और बीमार पड़ जाता है । इन सब का कारण है कुछ निर्माताओं और व्यापारियों की लालच की प्रवृत्ति जो उन्हें जल्दी से जल्दी अधिक मात्रा में धन कमाने को प्रेरित करती है । ये उपभोक्ता के अज्ञान, उनमें संगठनात्मक क्षमता की कमी और उनके द्वारा कारगर कार्रवाई न किए जाने का फायदा उठाते हैं ।

नई दिल्ली में हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण पर दो दिन की अखिल भारतीय विचारगोष्ठी हुई । इसका आयोजन खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने किया था । गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन खाद्य और नागरिक आपूर्ती राज्य मंत्री श्री के.पी. सिंहदेव ने देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत बनाने का आह्वान किया । उन्होंने कहा कि उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के साथ ही उसे मजूबत बनाना वर्तमान परिस्थितियों में जरूरी है क्योंकि यह उपभोक्ताओं के अधिकार को सुदृढ़ करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का सामाजिक आंदोलन है ।

इसमें दो राय नहीं कि सरकार ने पिछले वर्षों में वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य के बारे में उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से विभिन्न कानूनी कदम उठाए हैं । उपभोक्ता संरक्षण से संबधित कुल चौदह अधिनियमों में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, बाट और माप मानक अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम आदि शामिल हैं । बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक, इन अधिनियमों में समय-समय पर संशोधन भी किए गए हैं । लेकिन यह आवश्यक है कि व्यापार में जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, कम भार के बाट तथा माप और गलत सूचना देने वाले विज्ञापन जैसी अनुचित प्रवृत्तियों को रोकने के लिए इन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए । खास कर, समाज के कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं की स्थिति को देखते हुए सरकार उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के काम को उच्च प्राथमिकता दे रही है ।

दो दिन की इस विचारगोष्ठी में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों के अलावा लगभग 300 स्वयंसेवी तथा उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसमें संसद के अगले अधिवेशन में पेश किये जाने वाले उपभोक्ता संरक्षण संबंधी विधेयक के प्रारूप और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को कुछ सीमित अधिकार दिए जाने से संबधित मामलों पर विस्तार से विचार-विर्मश किया गया ।

विचारगोष्ठी में सरकार से विशेष आग्रह किया गया कि वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम और उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन करे ताकि उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण मिल सके । स्वयंसेवी संगठनों ने उन राज्य सरकारों की आलोचना की जिन्होंने उपभोक्ता संगठनों को सहयोग देने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है । इन संगठनों ने उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने और उपभोक्ता के लाभ के लिए उत्पादों की गुणवत्ता तथा उनकी कीमतों के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार से जन-संचार माध्यमों का उपयोग करने का आग्रह किया ।

यह सही है कि देश में ऐसे कई कानून हैं जिनका उपभोक्ताओं के हितों पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है । लेकिन यह महसूस किया जाता है कि कानूनों के बावजूद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो उपभोक्तों की शिकायतों को प्राप्त करके उन पर कार्रवाई कर सकें । अक्सर उपभोक्ताओं को उन एजेंसियों की जानकारी नहीं होती है जिनके पास उन्हें मिलावट,कम तोल जैसी अनुचित व्यापार पद्धतियों आदि के बारे में शिकायत करनी होती है ।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है । इस विधेयक के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा उत्पादकों द्वारा गलत तरीके अपनाएं जाने के कारण उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान का हर्जाना दिलाने का प्रावधान भी है । नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा विधि मंत्रालय की सलाह से तैयार किये गये इस विधेयक के प्रारूप में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय बनाने की भी व्यवस्था है ।

प्रस्ताविक विधेयक के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय

खराब वस्तुओं तथा गलत व्यापारिक तरीकों के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त करेगा और विभिन्न कानूनों के अमल के बारे में नजर रखेगा । इसके अलावा मूल्य तथा गुणवत्ता के बारे में जानने और प्रतियोगी मूल्यों पर अनेक किस्म की उपभोक्ता वस्तुओं में से अपनी पसन्द की वस्तुएं चुनने के उपभोक्ताओं के अधिकार पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित करने की भी व्यवस्था है । परिषद यह भी ध्यान रखेगी कि निर्माताओं, थोक या खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरकों द्वारा बेईमानी किये जाने पर उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का अधिकार हो । परिषद उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्यक्रम चलाएगी । वह वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करेगी, लोगों को सूचना देने के वास्ते परीक्षण के परिणामों को प्रकाशित करेगी और उपभोक्ताओं के कल्याण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करेगी ।

इसके अलावा, विधेयक के प्रारूप में, उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने के लिए उपभोक्ता निपटारा मंच बनाने की भी व्यवस्था की गयी है । यह मंच एकाधिकारी तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ता विवादों का फैसला करेगा । इसको निर्माता को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह शिकायतकर्ता को उसे हुए नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान करें ।

एक समस्या यह है कि उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिकतर कानूनों में नुकसान को साबित करने का भार उपभोक्ताओं पर है । कई बार पीड़ित उपभोक्ता अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं । बल्कि इसका कारण दावों को साबित करने और विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयां, उच्च न्यायालय की ऊंची फीस, न्यायालयों में फैसला होने में विलम्ब आदि हैं । इसके अलावा अधिकांश कानूनों में उपभोक्ता को हुए नुकसान के बदले मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं है । उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों की समीक्षा का काम चल रहा है ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में नुकसान उठाने वाले अधिकतर गरीब लोग होते हैं । समाज के कमजोर वर्ग के ये लोग जल्दी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में अपराधी को कानून के सामने लाने की प्रक्रिया बहुत कठिन तथा पेचीदा है । इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम की समीक्षा की जा रही है ताकि कोई भी खरीददार विक्रेता को बताए बिना किसी भी नमूने का परीक्षण करा सके । खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण प्रभावित उपभोक्ता को मुआवजा देने के बारे में प्रावधान पर विचार किया जा रहा है । इसके अलावा यह भी व्यवस्था की जा रही है कि स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, बाजार से एकत्र की गयी खाद्य-वस्तुओं के नमूनों के परीक्षण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित कर सकते हैं ।

देश में उपभोक्ता आंदोलन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और यह मुख्यतया बड़े नगरों तक ही सीमित है । उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जो 180 से अधिक स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं वे भी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में ही केन्द्रित हैं । जरूरत इस बात की है कि उपभोक्ता आंदोलन एक जन आंदोलन बने और देश के हर कोने में फैले । □

(आकाशवाणी सामयिकी से साभार)

उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी... **(पृष्ठ 13 का शेष)**

को अशिक्षित समुदाय तक पहुंचाया जा सके । ब्लाक स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामीणों एवं कृषकों को इस परियोजना के लाभों के बारे में शिक्षित करें, जिससे कि ये लोग वृक्षों की पैदावार करके अधिक लाभ उठा सकें । ग्राम सभा की भूमि पर वृक्षारोपण के लिए स्थानीय लोगों से आम राय लेकर उसे सामाजिक वनीकरण के अन्तर्गत लाया जाये, जिससे कि गांवों में अधिक वृक्षारोपण किया जा सके ।

किसी भी कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार उसका उचित रूप से कार्यान्वयन है । यह कार्यान्वयन कागज पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में होना चाहिए । सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों तथा शोध संस्थाओं ने जो कार्य प्रारम्भ किया है वह प्रशंसनीय है । सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों को ज्यादा अच्छी तरह से निभा सकते हैं । चूंकि सामाजिक वानिकी एक नया विषय है । अतः इस पर शोध के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हैं । इसके द्वारा कम समय में तैयार होने वाली प्रजातियों का उपयोग करके ग्रामीण जनता की ईंधन, चारा तथा इमारती लकड़ी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है तथा रोजगार के नये-नये विकल्प खोजे जा सकते हैं । सब से अधिक आवश्यक है पर्यावरण का सन्तुलन जो बहुत सीमा तक सामाजिक वानिकी द्वारा सम्भव है ।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम काफी हद तक सफल रहा है, जैसा कि विश्लेषण में कहा जा चुका है । हालांकि इस कार्यक्रम को प्रारम्भ हुए अधिक समय नहीं व्यतीत हुआ है, फिर भी वृक्षारोपण के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ-साथ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि नये वृक्षारोपण के उपरान्त उनकी उचित रूप से देखभाल हो सके । सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सफल बनाने में हर व्यक्ति, सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों को अपना पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिए । वृक्षारोपण करने के लिए भूमि संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं करना चाहिए । यदि उपयुक्त सुझावों को उपयोग में लाया जाये, तो काफी हद तक इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पद्धति को आसान तथा सफल बनाया जा सकता है । □

विकलांग भविष्य

प्रमीला ओझा

पांच साल बाद भी उस शहर में कुछ बदलाव नहीं आया था। वही स्टेशन...वही भीड़ वही कुली....सब यथावत। मैं स्टेशन से बाहर आ गई थी। ड्राइवर मधुमक्खियों से मंडरा रहे थे कहां चलियेगा साब...सौभाग्य से एक ड्राइवर राजी हो गया था इतने पैसों में ही जितनी मेरी देने की श्रद्धा थी। आप ठहरें मैं स्कूटर यहीं लेकर आता हूं। वह स्कूटर लेने चला गया था मैं इधर-उधर देख रही थी...शायद कहीं कुछ बदला हो इन पाँच सालों में। सहसा एक हथेली मेरे आगे फैल गई... अल्लाह के नाम पर अम्मा...अल्लाह के नाम पर कुछ। एक झटका लगा आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। रोशनी नहीं थी, पौ फटी ही थी इसलिए चेहरा कुछ समझ में नहीं आया लेकिन आवाज... पर भला भिखारी को मैं कैसे जानूंगी। मैंने बैग में से निकाल एक अठन्नी उस हथेली पर टिका दी। उसके लिए इतनी जल्दी मेरा उसे कुछ दे देना शायद अप्रत्याशित सा लगा, वह संभाल नहीं पाया और अठन्नी ठन्न से जमीन पर गिर पड़ी... झुक कर उसने उठाना चाहा तो उसकी बैसाखियों पर मेरा ध्यान गया बिचारा इतनी कम उम्र में इतना लाचार। ठहरो भाई... मैं उठा देती हूं। मैंने झट से झुक कर अठन्नी उसके हाथ में दे दी। वह कृतज्ञता दर्शाने लगा... अल्लाह आपको सलामत रखें...शायद वह भी मेरी आवाज पहचान रहा था आप अम्मा हैं न दिल्ली वाली। हाँ और तुम...तुम रफीक तो नहीं। वह रफीक ही था। हालांकि उसे पहचानने के बावजूद मैं भगवान से यही मना रही थी कि यह भिखारी रफीक ना हो... लेकिन वह वही था। अभी कुछ देर पहले मैं सोच रही थी इस शहर में कुछ नहीं बदला लेकिन मुझे क्या पता था कि पिछले पांच सालों में कितने लोगों की दुनिया ही बदल गई। रफीक हंसता खिलखिलाता ग्यारह-बारह साल का लड़का। कहां बैसाखियों का सहारा लिए अपने को रफीक बताता यह भिखारी। क्या वाकई तुम रफीक हो? जी! हाँ मैं ही हूं। फिर यह सब क्या है? मेरा इशारा उसकी हथेलियों और बैसाखियों की तरफ यकायक हो गया था। यह मेरी बदकिस्मती है... और क्या। मैं और भी बहुत कुछ पूछना चाहती थी पर तब तक स्कूटर आ चुका था... सुनो भई बस एक मिनट रुको, पर्स से एक पुरानी रसीद निकाल उसके पीछे ही होटल का नाम लिख दिया था—तीन और छः के बीच कभी भी आ जाना वह थोड़ा हिचकिचाया था। अम्मा....। होटल में मुझे घुसने देंगे? मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। एक भिखारी भला एक अच्छे होटल के प्रवेश द्वार में कैसे घुस सकता है। "मैं ही तुम्हें गेट पर तीन बजे मिल जाऊंगी...तुम जरुर आना".... । वह चला गया था। ड्राईवर बड़े कौतुहल भरे अंदाज में देख रहा था...। शायद उसे मेरे दिमाग में कुछ खराबी लगी हो जो एक भिखारी को यूं होटल का पता थमा उसे गेट पर मिलने का आश्वासन दे रही थी। भला चंगा आदमी तो ऐसा करने से रहा। वह अपनी बीड़ी फेंक कर बोला "अब चलें जी"....चलो। रास्ते भर दिमाग में रफीक घूमता रहा हँसती आँखों वाला....खाकी हाफपैण्ट और खाकी बुश्शर्ट पहने सारे दिन काम में लगा रफीक...बच्चों के साथ खेलता-घूमता रफीक और आज...क्या से क्या हो गया....किसे दोष दूं, समय को, हालात को यह तो रफीक की पिछले पाँच सालों की जिंदगी के बारे में पता लगाने पर ही निश्चित रूप से कह पाऊँगी। हैदराबाद का जुड़वां भाई सिकन्दराबाद यहीं हम लोग पांच साल पहले तबादले पर गये थे। पहली बार उत्तर से दक्षिण गये, इसलिए सब कुछ नया-नया था....भाषा का झमेला भी कुछ कम नहीं था। एक सुकून था मकान मालिक सुना था बहुत भले लोग हैं....समाज कल्याण में लीन दम्पति के बारे में सुनकर काफी श्रद्धा हो गई थी। अपनी प्राईवेट प्रेक्टिस में से समय निकाल मियां-बीबी दोनों एक शिक्षण संस्थान विकलांगों के लिए चलाते हैं ऐसा भी सुना था। मैंने अपने आपको धन्य माना था। समाज के लिये कुछ कर पाने का एक स्वर्णिम अवसर मुझे भी मिलेगा। उनके संस्थान में मेरे लायक जो होगा वह मैं कर लूंगी। मैं वाकई उन दोनों से अत्यधिक प्रभावित हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा भ्रम मिटता गया, मेरी उनके प्रति श्रद्धा बौनी होती गई और एक दिन उसका अस्तित्व मिट ही गया। उसका स्थान ले लिया क्रोध और घृणा ने। आये दिन उनके यहां होती पार्टियां, उन पार्टियों में होती बातचीत ऐसा आभास देतीं जैसे समाज कल्याण के नाम पर कोई और ही खिचड़ी पक रही है। धुली सफेद चादर के नीचे गंदगी ही गंदगी थी। एक ही घर के अहाते में रहने वाले आखिर कब तक एक दूसरे से अपनी असलियत छिपा पाते।

रफीक उन्हीं के घर में नौकरों की लम्बी कतार में से एक था। पहले पहल उसे देखकर मैंने सोचा था, शायद गरीब अनाथ बच्चों के लिए भी डाक्टर दम्पति ने कुछ व्यवस्था की हुई हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था...वह सब बस नौकर थे बारह से सौलह साल तक की उम्र के।

रफीक पूरा दिन काम करता । सुबह ही काफी ट्रे में सजा कर डा. अम्मा की आवाज सुनते ही दौड़कर जाता । ऐ रफीक काफी ले आओ जल्दी । झाडू-बुहारी करता, बच्चों के साथ स्कूल जाता और वहीं स्कूल के दरवाजे पर बैठ जाता । पांच घंटे यूं बैठा रहता, ब्रेक में बच्चों को खाना खिलाता । बच्चों की आवाज जो भी कानों में पड़ती वही रट लेता, कभी हम्पटी-डम्पटी करता कभी लिटिल बो पीप । घर पर वही गुनगुनाता । तुम क्यों नहीं डा. अम्मा से पूछकर पढ़ने जाते रफीक ? मेरे प्रश्न पर वह हंसा था । अम्मा हमारे डा. साहब के स्कूल में पढ़ने के लिए तो मुझे अपनी टांग तुड़वानी पड़ेगी और किसी स्कूल में जाने के लिए तो पैसा ही नहीं है । मैं चुप हो गई थी । डा. श्रीमती श्रीमाली से कहा था मैंने....रफीक को पढ़ने का बेहद शौक है उसके लिये आपको कुछ करना चाहिये कुछ सालों बाद जब बड़ा हो जायेगा तब आप ही उसे निकाल देंगे घर से, कि बच्चों का घर है । इस लंब दड़ंग को नहीं रखना । फिर इसका भविष्य क्या होगा ? कभी सोचा आपने ? फिर आप और आपके पति तो काफी संवेदनशील हैं । जब आप को विकलांग एवं मानसिक रोगों से पीड़ित बच्चों के भविष्य की इतनी चिन्ता है फिर यह तो अच्छा भला नार्मल बच्चा है । वह मुझे अजीब निगाहों से घूरने लगी थी...यह सब आप रफीक के सामने मत कह देना, इन लोगों का दिमाग आजकल वैसे ही खराब होता जा रहा है... कल ही इसका बाप आया था, पैसे बढ़ाने को कह रहा था, पचास नहीं सत्तर दीजिये । अगर कुछ पढ़ गया तब तो और सिर चढ़ जाएगा, नौकरी छोड़ने की धमकी देगा । मेरा मन एक दम ही बुझ गया था । यह था असली स्वरूप समाज कल्याण की दुहाई देने वाली एक महिला का जिसकी नस-नस में उसका अपना स्वार्थ सबसे ऊँचा था । समाज कल्याण एक ढकोसला था । बाकी नौकर मुझसे इशारों में ही बात करते उन्हें हिन्दी नहीं आती थी । एक रफीक ही था जो अच्छी तरह हैदराबादी हिंदी बोल लेता था । मेरे अनुरोध पर भी डा. श्रीमाली उसे कभी स्कूल नहीं ले गईं । कोई न कोई बहाना लगा देती ।

धीरे-धीरे उनके ठाठ बाट का राज मेरी समझ में आने लगा था । ब्लैक को व्हाइट करने का माध्यम था वह शिक्षण संस्थान । स्मगल्ड गुड्स स्टोर करने का भी अच्छा खासा जरिया था । ड्राईवर, कार, माली, नौकर, नर्सरी बच्चों की एक से एक कीमती किताबें और पोशाकें सब समाज कल्याण के खाते से अदा होते थे । अपने जीवन को सुखी बनाने का सबसे उत्तम रास्ता निकाला था डा. दम्पत्ति ने । मिनिस्टरों और आला दर्जे के अफसरों से रिश्तेदारी का ढिंढोरा पीट कर ना जाने कितनों को उल्लू बनाते थे वह लोग । सब कुछ देख-सुनकर भी मैं कुछ कर नहीं पाती थी । इस बात का मलाल रहता था । कभी लगता क्या यही राज तो नहीं हमारे पिछड़ेपन का । ऊँचे-ऊँचे खोखले नारे समाज कल्याण के और समाज सुधारक के रूप में रंगे सियार ? क्या कभी समाज का भला होगा । प्रश्नों से घिरे मेरे मन को सान्तवना देती मदर टेरेसा की तस्वीर और उनकी किताबें....अंधेरे में एक दिया भी काफी सहारा देता है । काश लोग कम से कम इतना तो अपने आप को न गिराएं । बस यही प्रार्थना करती ।

मेरे धैर्य का बांध उस दिन टूट गया जब एक प्रतिष्ठित अखबार में डा. का चित्र और उसके कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा छपी । भोले-भोले लोगों को चंदा देने के लिए उकसाना ही, मुझे लगा उस प्रशंसा का ध्येय था । मैं अपने-आप को रोक नहीं पायी थी और एक पत्र डा. के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह सा लगाता सम्पादक को लिख ही दिया था ।

डा. दम्पत्ति के लिए यह सहन कर पाना कठिन था । उन्होंने अपना नकाब पूर्ण रुपेण उतार फेंका....धमकी भरे फोन और धमकी देने वाले लोग आए दिन तंग करने लगे । वहां रहना मुश्किल हो गया था । समाज की वजह से समाज में रहना, वह कैसी विडम्बना थी ?

एक अत्यधिक कड़ुवा अनुभव लेकर लौटे हम लोग ।धीरे-धीरे वक्त ने क़ड़वाहट को कम कर दिया था । लेकिन मेरे लिये किसी भी सामाजिक कल्याण को दुहाई देने वाले इन्सान की छवि शैतान से मिलने लगी थी । पांच साल बाद आज फिर कड़वाहट मेरी यादों में जीवित हो उठी थी...रफीक को इस हाल में देखकर ।

वह आया था...ठीक तीन बजे...अपनी बैसाखियां टेकता । गेट के पास ही घना नीम का पेड़ देख वहीं बैठ गई थी मैं । बैठो...रफीक ।वह थोड़ा हिचकिचाया...फिर बैसाखियां घास पर एक-एक कर रखता हुआ बैठ गया । मेरी आंखों में प्रश्नों का समूह लहराता देख कर वह स्वयं ही चालू हो गया...पता नहीं यह सब काहे की सजा मिलें हैं...। अल्लाह मियां बहुत खफा लगते हैं...वह हल्के से हँसा...। 'यह सब कैसे हुआ रफीक' 'क्या बोलना...आपके जाने के बाद डा. साहब बहुत सखती किये हम पर । उन्हूं शक किये की अपन ही उनका बारे में आपकूं बताया । कुछ और नौकर लोगां भी उनकुं चुगली बोले । तनखां बढ़ाने को बोले तो बहुत गालियां दिये उन्हूं । मैं गांव चला गया । पर उधर में खाने को नहीं मिला...बाप बहुत लफड़ा किये ।...मार-पीट किये...फिर डाक्टर साहब का घर में लेकर आ गए । सारा दिन काम काम-काम और काम । वह पूरा घर धोना, बच्चों का साथ में स्कूल जाना और स्कूल का गेट पर बैठना...पूरे पाँच घंटे उधर बैठने से दर्द उठता । एक दिन बेबी का किताब और कापी निकाल लिये मैंने...बाहर बैठकर पढ़ने का वास्ते । दो किताब, ए फोर एपल वाला, । बस...बेबी डा. अम्मा को बोल दिये । बहुत मार खाया हम उस दिन । वह कुछ देर के लिये रुक गया था । मैंने ही उसकी टांगों की तरफ इशारा किया...यह कैसे हुआ रफीक ? 'यही दो साल पहले....ईद के दो दिन बाद...पता नहीं क्या हमसे गल्ती हुई । डा. साहब का एक नया छोटा कुत्ता आ गया था नाम था बिंगों....बहुत ही शैतान पर बहुत प्यारा छोटा सा...बाकी तीनों बड़े कुत्ते तो समझदार लेकिन बिंगों एक दम पाजी । शाम को सबको

एक साथ ले जाता टट्टी-पैशाब कराने, थोड़ा घुमाने । उस दिन ले जा रहा था...लौटते वक्त अंधेरा गहरा गया...और अचानक सड़क की सारी लाइटें गुल...अंधेरे में घबराकर बिंगों चेन से अपना मुन्डी निकाल कर भाग लिया...मैं तो घबरा गया...छोटा टारच था मेरे पास...इधर-उधर देखने का कोशिश किया, रोशनी में । लेकिन बिंगों का कहीं पता नहीं । तभी एक कार तेज रोशनी फेंकती तेजी से निकली । मुझे लगा बिंगों उसके एक दम करीब है । बस सब कुछ भूलकर मैं उसे पकड़ने को लपका मेरे हाथ में बिंगों तो नहीं आ पाया, हां कार मेरे पैरों को रोंदती हुई निकल गई.....

मैं बेहोश हो गया था....होश आया तो मेरी दुनियाँ ही बदल गई थी । सोचा....कि जो अल्लाह को मंजूर था । अब कम से कम पढ़ लिख लूंगा....आपको याद होगा मैं हमेशा कहता था ना...डा. साहब के स्कूल में पढ़ने के लिए तो मुझे अपनी टांगें तुड़वानी पड़ेंगी सो टूट गई....पर मेरी किस्मत में पढ़ाई कहां । डा. साहब ने साफ इन्कार कर दिया... इतनी फीस कौन देगा तुम्हारी...फिर तुम जैसे निठल्ले को खिलाएगा कौन ? गाँव में बाप ने जब हट्टा-कट्टा था तब ही नहीं पूछा तो अब अपाहिज को क्या पूछता ? वह भी क्या करे अम्मा गाँव में भी हम लोग इन्हीं लोगों के मोहताज हैं । वरना पचास रुपये में मैं क्या यहां यों मशीन की तरह खटता । उसकी आंखों से मजबूरी और दुर्भाग्य के आँसू उसके गालों से ढुलक ढुलक कर घास में ओस से गिर रहे थे । मैं निस्तब्ध कभी उसके रुखे बाल-सूखे चेहरे, सूनी आंखों को देख रही थी....कभी उसकी बैसाखियों को । मेरे सामने उसका अस्तित्व एक प्रश्नचिन्ह बन गया था....जिसे सुझाने का बीड़ा उठाना था । कौन उठाएगा आवाज ?....कौन देगा रफीक के जीवन को अर्थ ? कौन छेड़ेगा जिहाद उन रंगे सियारों के खिलाफ जो समाज में पूजे जाते हैं....कभी समाज सुधारक के नाम से, कभी फिलेन्थ्रोपिस्ट के नाम से । एक बार फिर रफीक की खाली हथेली मेरे आगे पसर गई । उसकी बैसाखियों की ठक-ठक एक प्रश्न सी अभी तक मुझे कौंच रही है..मेरा भविष्य क्या है ?....मुझे बताओ मेरा भविष्य क्या है... और रफीक की हथेली और बैसाखियां सैंकड़ों हथेलियों और बैसाखियों में बदल गईं...मैंने होश में आकर अपनी गीली आंखे पोंछी तब तक मुझसे कुछ भी और कहे या सुने बिना...रफीक जा चुका था....। □

द्वारा एन.एन. ओझा, डी.ई.ओ., बनी पार्क
जयपुर (राज)

(पृष्ठ 9 का शेष)

विकास की अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही हैं ।

मछलीपालन

मध्य प्रदेश में 4.50 लाख हैक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है । इसमें से 3.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मछलीपालन के अन्तर्गत लाया जा चुका है । इसमें से 291400 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई जलाशयों का तथा 68600 हैक्टेयर ग्रामीण जलाशयों का है ।

छठी योजना के अन्त तक प्रदेश का मछली उत्पादन स्तर 25000 टन पहुंच गया है जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह स्तर मात्र 2000 टन था । मछली उत्पादन की यह वृद्धि लोगों में मछलीपालन उद्योग के प्रति बढ़ती हुई रुचि का प्रतीक है । इसको मद्देनजर रखते हुए सातवीं योजना के लिए 75 लाख टन तक मछली उत्पादन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनाएं

मछली पालन को अधिक लोकप्रिय बनाने तथा उसके माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मछली पालन की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित हैं । सामान्य योजनाओं के अलावा विश्व बैंक सहायता के तहत मछली पालन परियोजना, मछुओं के लिए दुर्घटना बीमा योजनाएं भी प्रदेश में चलायी जा रही हैं ।

विश्व बैंक की सहायता से मछली पालन की योजना रायपुर, राजनांद गांव, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, रीवा, सिवनी तथा बालाघाट में मत्स्य कृषक अभिकरण के माध्यम से चलाई जा रही है । इस योजना का उद्देश्य 25000 हैक्टेयर जलक्षेत्र में मछली पालन का विकास करना है ।

प्रदेश में आदिवासी एवं हरिजनों के लिए चलायी जा रही योजनाओं के तहत उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण के बाद उनकी सहकारी समितियां गठित की जाती हैं तथा शासन की नीति के अनुसार 40 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र में सिचाई की जाती है । तालाब 10 साल के पट्टे पर दिए जाते हैं । अभी तक सहकारी समितियों के 871 सिंचाई जलाशय हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 13546 हैक्टेयर है, 9487 हितग्राहियों को 5 से 10 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया है तथा 3517 आदिवासी मछुआ, 738 आदिवासी दम्पत्ति, 1844 हरिजन मछुआ, 269 हरिजन दम्पतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें 14636 किलोग्राम नायलोन धागा निःशुल्क वितरित किया गया है । पशुपालन और मछलीपालन की इन योजनाओं के द्वारा आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्गों का निरन्तर कल्याण हो रहा है □

"राजेन्द्र स्मृति"
देशबन्धुपुरा, इटारसी-461111

दुग्ध क्रांति की ओर अग्रसर ग्रामीण

मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम वाजिदपुर (जानसठ-विकास क्षेत्र) में सहकारी दुग्ध उत्पादन का श्रेय ग्रामीण युवक श्री किरण सिंह को जाता है। श्री किरण सिंह अधिक परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी एवं निष्ठावान कृषक हैं। अपने गांव के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रादेशिक सहकारी डेयरी संघ, मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों से प्रभावित होकर ऐसे ही केन्द्र की स्थापना के लिए संघ के अधिकारियों से अनुरोध किया और संघ की सभी शर्तें स्वीकार कर अपने गांव के दुग्ध संग्रह केन्द्र पर अत्यधिक मात्रा में दूध एकत्रित करने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात्, संघ द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर 19 सितम्बर 1985 को एक केन्द्र की स्थापना की गयी। स्थापना के समय समिति में केवल 24 सदस्य थे तथा प्रतिदिन 80 लीटर दूध संग्रहित किया जाता था। श्री सिंह ने ग्रामीणों को इस योजना के लाभ बताए तथा संघ अधिकारियों को दिए गए आश्वासन के अनुसार सदस्य संख्या तथा दुग्ध संग्रह की मात्रा बढ़ाने में अटूट परिश्रम किया। उसी के परिणामस्वरूप आज लगभग 5 माह बाद इस समिति को 36 सदस्यों ने अपना लिया है और दूध की मात्रा भी 80 लीटर से बढ़कर 180 लीटर हो गयी है।

श्री किरण सिंह ने उत्साहपूर्वक बताया कि वे ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं तथा सदस्य संख्या एवं दुग्ध संग्रह मात्रा बढ़ाने हेतु आश्वस्त हैं यदि संघ द्वारा अच्छी नस्ल के दुआरु पशु ग्रामीणों को सरल शर्तों पर वितरित किए जाएं। पशु-पालकों के लिए चारा उगाने और खली खरीदने की व्यवस्था सामूहिक रूप से संगठित ढंग से हो जाए तो कहने ही क्या। फिर तो पशु पालक भी आर्थिक लाभ के साथ-साथ यथोचित सम्मानित जीवन जीने लगेंगे और यह व्यवस्था बहुत मुश्किल पैदा नहीं करेगी। थोड़े फेर बदल की जरुरत पड़ेगी। □

(क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
भारत सरकार
मुजफ्फरनगर के सौजन्य से)

अधिक उत्पादन के लिए सब्जी की संकर किस्में

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली ने सब्जियों की कुछ संकर किस्में तैयार की हैं। इन किस्मों के प्रयोग से कम लागत पर सब्जियों का अधिक मूल्य लिया जा सकता है। इन किस्मों में घीया की किस्में "पूसा मेघदूत" और "पूसा मंजरी हैं।" मेघदूत गर्मियों में लम्बा घीया देने वाली और मंजरी गोल घिया की किस्में हैं। इसी प्रकार करेले की "पूसा दो मौसमी x एस-1, 1144" तथा "पूसा दो मौसमी xएस-1,63" किस्में विकसित की गई हैं। इन दो किस्मों से क्रमश: 80 और 70 प्रतिशत अधिक पैदावार मिलती है। इस संस्थान द्वारा विकसित कद्दू की नयी किस्मों से अन्य किस्मों के मुकाबले 60 प्रतिशत अधिक पैदावार मिलती है। □

दलहन उत्पादन की राष्ट्रीय योजना

केन्द्र सरकार एक राष्ट्रीय दलहन विकास योजना शुरु करने पर विचार कर रही है ताकि दलहनों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की जा सके। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दलहनों का उत्पादन कुल 1.30 करोड़ मी. टन रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह उत्पादन बढ़ाकर 1.60 करोड़ मी. टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बारानी खेती में भी कई नये प्रयोग किये जा रहे है। किसानों को अरहर के साथ रागी और मूंगफली की फसल लेने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। कर्नाटक में इस दिशा में काफी सफलता भी मिली है। □

कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु परिव्यय एवं प्रावधान

डॉ. नरेश चन्द्र त्रिपाठी

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 42% है । 68% जनसंख्या प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है और निर्यात में भी इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है । भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के साथ ही ग्राम प्रधान है । इसीलिए यह भी कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है । अत: भारत का आर्थिक विकास गाँवों के समग्र विकास और कृषि की समुन्नति द्वारा ही सम्भव है । इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1986-87 के बजट भाषण में ठीक ही कहा है कि "कृषि हमारी विकास की रणनीति का केन्द्र बिन्दु है । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रभाव हटाने का एक मात्र रास्ता कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों से सुधार करना है ।" वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों एवं कमियों की व्यापक और उपयुक्त समीक्षा करते हुए सुधार के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की और सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया । वित्तमंत्री ने स्वीकार किया कि जहां एक ओर सुदीर्घ एवं सन्तुलित प्रयासों से गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन करने में सफलता प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर चीनी और खाद्य तेलों के आयात ने सिद्ध कर दिया है कि अनेक फसलों का उत्पादन अब भी अपर्याप्त है । कृषि उत्पादन में व्याप्त इन असन्तुलनों को दूर करके ही भुगतान सन्तुलन पर पड़ रहे दबाव को दूर किया जा सकता है और कृषि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकता है । कृषि क्षेत्र में समुचित एवं सन्तुलित विकास के लिए दीर्घकालिक एवं सन्तुलित नीति के सन्दर्भ में वित्त मंत्री ने कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय असन्तुलन एवं विविधता को दूर करने, प्राकृतिक प्रकोपों के विरूद्ध सुरक्षा का आश्वासन देने, कृषकों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य देने और मूल्यों में उतार-चढ़ाव दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उनकी आय को एक निश्चित गति एवं दिशा दी जा सके । वित्तमंत्री ने इस सन्दर्भ में सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा –कृषकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष फसल बीमा की व्यापक योजना प्रारम्भ की थी । इस वर्ष इसे फलों के बागान पर भी लागू किया जाएगा । कृषकों की अनिश्चितता दूर करने के लिए कृषि मंत्री ने मुख्य फसलों के सम्बन्ध में दीर्घकालिक कृषि मूल्य नीति तैयार करने की पहले ही पहल की है, जिसमें कृषि विशेषज्ञों का परामर्श लिया जायेगा ।

वित्तमंत्री ने स्वीकार किया कि निर्धनता निवारण के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास एक सक्षम एवं प्रभावी साधन है । समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार प्रत्याभूत योजना, जैसी निर्धनता उन्मूलक योजनाएं ही निर्धनतम वर्ग को अधिक आय और उच्च जीवन स्तर प्रदान कर सकती हैं । इन योजनाओं पर इस वर्ष के बजट में 65% अधिक व्यय करने का लक्ष्य है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पिछले वर्ष प्रारम्भ की गयी आवास योजना को और अधिक मजबूत करने का आश्वासन भी वित्तमंत्री ने दिया । गरीबों और जरूरतमन्दों के कल्याणार्थ भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी की इच्छा को कार्य रूप देने के लिए नयी आवास योजना शुरु की जा रही है, जिसका नाम 'इन्दिरा आवास योजना' होगा ।

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है । बैंक बचतों को संग्रहीत करने का महत्वपूर्ण साधन है; इन बचतों का प्रयोग विकास कार्यों विशेषत: निर्धनता उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होना चाहिए । इस क्षेत्र में बैंकों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 1985 में बैंकों ने 40% के विपरीत 43.4% ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदान किया । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 165 लाख लोगों को छठी योजनावधि में 3100 करोड़ रु. ऋण दिया । सातवीं योजना में 200 लाख लोगों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिसमें 60 लाख व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के होंगे ।

परिव्यय–

इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन हेतु

परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रस्तावित है । ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1986-87 के बजट में 1851 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान है । यह 1985-86 में स्वीकृत परिव्यय 1239 करोड़ से बहुत अधिक है । सरकार ने समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या के लिए कम लागत के मकानों के निर्माण की तथा रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना भी घोषित की । 14 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए चल रही पोषक योजनाओं का विस्तार करने, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार प्रत्याभूत योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को अधिक अनाज देकर विस्तार करने की घोषणा भी बजट में की गयी । इन सभी योजनाओं को चालू रखने के लिए 1986-87 में 2 मिलियन टन अनाज की व्यवस्था की गयी है । ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन के शासन के संकल्प को व्यक्त करते हुये वित्तमंत्री ने कहा कि उन योजनाओं पर अधिक बल दिया जायेगा, जो समाज के कमजोर वर्ग विशेषत : अनुसूचित जाति/जनजाति से सीधे सम्बन्धित हैं । निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों और ग्राम विकास के सम्बन्ध में परिव्यय और लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1985-86 में 300 मिलियन से अधिक मानव दिवसों के कार्य का सृजन करेगा । इस कार्यक्रम पर 1985-86 में किये गये व्यय 230 करोड़ रू. की तुलना में 1986-87 में 443 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान है । यह व्यय गत वर्ष की तुलना में 93% अधिक है ।

2. ग्रामीण भूमिहीन प्रत्याभूत योजना गत वर्ष के 209 मिलियन जनदिवसों के विपरीत इस वर्ष 264 मिलियन जनदिवस कार्य सृजित करेगी । इस योजना पर 1985-86 की तुलना में 58% अधिक व्यय किया जायेगा जो 400 करोड़ रु. के विपरीत 633 करोड़ रु. है ।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु 1986-87 में 428 करोड़ रु. निर्धारित था । 1985-86 के प्रथम 9 महीनों में इस कार्यक्रम द्वारा 15.3 लाख परिवार लाभान्वित हुये, जिसमें से 6.3 लाख परिवार अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हैं ।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा बन्धुआ मजदूरों की आवास योजना पर 125 करोड़ रु. व्यय किये जाने का लक्ष्य है । 1985-86 में 1.5 लाख आवासों के लिए 146 करोड़ रु. स्वीकार किए गए ।

5. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेय जल योजना कार्यक्रम चालू रखा जायेगा । छठी योजना के प्रारम्भ में 2.31 लाख गांव पेय जल की समस्या से ग्रस्त थे, जिनमें से 1.92 लाख गांवों में व्यवस्था करा दी गयी है । सातवीं योजना में शेष 39000 गांवों में पेय जल समस्या को हल करने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी । आशा की जाती है कि इस लक्ष्य को 1986-87 तक पूरा कर लिया जायेगा । इस मद के लिये 317 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान है ।

कृषि तथा सहायक क्षेत्र ने हमारे सभी विकास कार्यक्रमों में स्वाभाविक तौर पर प्राथमिकता पायी है । इस पर कुल केन्द्रीय परिव्यय 1985-86 के 2207 करोड़ रु. के विपरीत 1986-87 में 2838 करोड़ रु. व्यय किया जायेगा । यह गत वर्ष से 29% अधिक है । कृषि को अधिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये हजारिया एवं थाल विशात उर्वरक संयंत्र उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे, जिससे नाइट्रोजनिक खादों का उत्पादन 6.9 मिलियन टन तक पहुंच जायेगा, यह गत वर्ष से 29% अधिक होगा । इफ्को को अनोला तथा नेशनल फर्टिलाइजर लि की विजयपुर परियोजनाओं पर क्रमश : 205 करोड़ तथा 180 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान है ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1986-87 के बजट में कृषि को विकास का आधार मानकर ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि का प्रयास किया गया है । गत वर्ष की तुलना में इन कार्यक्रमों पर कुल 65% अधिक व्यय का प्रावधान है । बजट में किये गये प्रावधान सराहनीय एवं स्वागत योग्य हैं, लेकिन इनकी असली सराहना तभी होगी जब निर्धारित लक्ष्य वास्तव में प्राप्त किये जा सकें और यह व्यय ग्रामीण निर्धनता के दबाव को कम कर सकें । छठी योजना की उपलब्धियों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री और अध्ययन रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों से सहमत नहीं हैं । इस बजट के प्रावधान ग्रामीण निर्धनता को दूर करने और कृषि विकास में कहां तक सफल होंगे, ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे । बजट का एक-एक पैसा जिसके लिए निर्धारित है, पहुंचता है या नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण है । अब तक अनुभव यही बताता है कि निर्धनों पर किये जाने वाला व्यय अनेक छन्नियों से छनकर उन तक पहुंचता है, वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वयं स्वीकार किया है । उनके शब्दों में विकास कार्यक्रमों के सुफल प्रायः समाज के निर्धनतम वर्ग को नहीं प्राप्त होते, विशेषतः ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि पिछड़ी दशा में है । अत : जहां शासन ने कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 65% अधिक व्यय करने का निश्चय किया है और अनेक नयी योजनाएं प्रारम्भ करने की घोषणा की है, वहां सरकार को व्यय के सदुपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि बजट में किये गये प्रावधान और लक्ष्य गांवों का कायाकल्प करके सुखी एवं समृद्ध भारत के निर्माण में सफल हो सकें । □

प्राध्यापक अर्थशास्त्र,
रामनगर डिग्री कालेज, रामनगर
बाराबंकी (उ.प्र.)

गो-संवर्धन बनाम समृद्धि

डॉ. देव दत्त शुक्ला

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था में पशुधन का महत्व स्वाभाविक रूप से अधिक है। चूंकि अपने देश में ज्यादातर लोग कृषि कार्य पर आश्रित हैं अतः उनके लिये गो संवर्धन की महत्ता को समझना अनिवार्य है।

गो संवर्धन हमारी अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु पर्याप्त है तो क्यों न हम पशु पालन का कार्य एक अपना कार्य समझकर सुचारु रूप से चलायें ताकि हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में भरपूर दूध, खेती करने हेतु जोतने योग्य मजबूत बैल तथा ईंधन और खाद हेतु गोबर मिल सके। जब हमें वह सब उपलब्ध होगा तो हम सुखी और समृद्धिशाली होंगे और जब हम समृद्धिशाली होंगे तो हमारा देश भी समृद्धिशाली होगा।

पूज्य विनोबा जी के भावों के अनुरूप एक स्वाभाविक चिंतनीय विचार है कि "इतना परोपकारी जीव जो अपने जिंदा रहते हमें दूध, घी, मक्खन और मलाई खिलाये,हमें कृषि कार्य हेतु अच्छे बैल प्रदान करे,जो अपने अथक परिश्रम से हमें अनाज देकर भोजन कराये, हमें ईंधन तथा खाद के रूप में अपना गोबर दे, जिसे हम उपले या गोबर गैस संयंत्र में उपयोग कर नाना प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करें। धिक्कार है हमें जो हम गोवंश की कद्र न करें।"

हमारे राष्ट्र पिता बापू जी का कहना था कि "गोधन एवं गोरस के लिए डेनमार्क ही नहीं, भारत भी इसका आदर्श होना चाहिए।"

क्या हमें अपने राष्ट्र पिता बापू जी का यह सपना साकार नहीं करना चाहिये ? यदि हां तो हमें "गो संवर्धन" हेतु विचार अवश्य करना होगा। कृषि कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालन का विशेष महत्व है। ग्रामीण क्षेत्र में बसे लघु कृषक, सीमांत कृषक या भूमिहीन खेतिहर मजदूर, दूसरे शब्दों में देश के गरीब किसान जो पांच एकड़ से कम भूमि वाले या 3500/- रुपये सालाना से कम आमदनी वाले किसानों के आर्थिक उत्थान के लिये भारत सरकार भी प्रयत्नशील है। इन किसानों के आर्थिक उत्थान हेतु सर्वोत्तम एवं सशक्त माध्यम पशुधन विकास या गो संवर्धन ही है। गो संवर्धन के बिना ग्रामीण लोगों व किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना आसान नहीं है। गो संवर्धन को सेवा तथा विकास का पर्यायवाची कहा जा सकता है।

पशु संवर्धन कैसे

पशु विकास हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबद्ध है तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मूल मंत्र है। पशु विकास के अंतर्गत अच्छी नस्ल के पशुओं को पालना तथा उनसे अच्छे नस्ल की संतानें उत्पन्न करना विशेष महत्व रखता है।

हर व्यक्ति जो पशु पालन में रुचि रखता है उसे निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करते हुये कार्य करना होगा तभी गो संवर्धन के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकेंगे और अपने आपको समृद्धिशाली बना सकेंगे।

दुधारू एवं अच्छी नस्ल के पशु

पहला कार्य यह करना होगा कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही पशुओं की संख्या रखी जाये और उनका पालन-पोषण किया जाये।

दस अनुपयोगी पशुओं के बजाय दो दुधारू अच्छी नस्ल के पशु

प्रथम कार्य यह करना होगा कि अनुपयोगी, जिससे तात्पय कम दूध देने वाले घटिया किस्म के पशुओं की संख्या यदि ज्यादा है तो उसे कम करके यानी जितनी अपनी आर्थिक स्थिति से उचित हो उतने पशु पालना ही उचित होगा। ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों के पास इतने पशु यानी गाय, बैल, बछड़ा, बछिया, भैंस, कटिया रहते हैं कि उनके बांधने तक की जगह नहीं रहती। इसलिये उन्हें रात में एक सामूहिक बाड़े के अंदर कर दिया जाता है और सुबह को फिर छोड़ दिया जाता है। इनमें से दुआरू पशुओं का दूध निकाल लिया जाता है। किसी से एक पाव, किसी से आधा किलो दूध निकलता है। कुल मिलाकर 2-4 किलो दूध निकल आता है। पशुओं की संख्या ज्यादा रहने के कारण उनकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं हो पाती जिस कारण उत्पादन भी प्रभावित होता है और उनकी व्यवस्था तथा देखभाल में आने वाला व्यय भी ज्यादा ही होता है।

दस अनुपयोगी पशु न रखकर दो अच्छी नस्ल के दुधारू पशु पाले जायें तो उनके रहने तथा रख रखाव के लिये कम पैसा लगेगा और पूर्व की तुलना में उत्पादन ज्यादा होगा जिससे आय अवश्य बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

अनुपयोगी नस्ल के सांडों का बधियाकरण

यद्यपि हमारे देश में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है लेकिन उसकी तुलना में उत्पादन अत्यधिक कम है इसका मुख्य कारण यह है कि घटिया नस्ल के पशु ज्यादा हैं और दूधारू नस्ल के पशु कम हैं । इससे पशुधन विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है । गो संवर्धन हेतु हमें उन घटिया नस्ल के सांडों को बधिया करना होगा ताकि वे अपनी संतति ज्यादा न बढ़ा सकें । जब घटिया नस्ल के सांड बधिया हो जाएंगे तो उनकी संताने पैदा न होंगी । अत: अच्छी नस्ल के सांडों से ही प्रजनन कराया जाना चाहिये ।

बधियाकरण की सुविधाएं

बधियाकरण की सुविधा प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध है तथा दशहरा दीपावली के बीच जब लोग पशुओं को ज्यादा बधिया करवाते हैं 'सघन बधियाकरण' कार्यक्रम चलाया जाता है जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा गांव-गांव जाकर सामूहिक रूप से बधियाकरण कार्य संपन्न किया जाता है । हमें शासन की इस सुविधा का लाभ उठाते हुए अनुपयोगी नस्ल के सांडों का बधियाकरण करा देना चाहिये ।

स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे घटिया नस्ल की संतति कम हो जायेगी और अच्छी नस्ल बढ़ जायेगी जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा और उससे आय बढ़ेगी ।

गर्भाधान

संवर्धन हेतु अच्छी संतति उत्पन्न करने के लिये अच्छी नस्ल के सांडों से गर्भाधान कराया जाना चाहिये । इसके लिये ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी नस्ल के एक सांड से पशुओं के गर्भाधान की व्यवस्था करनी चाहिये । शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में अनुदान पर सांड प्रदान किये जाते हैं जिसके माध्यम से पशु संवर्धन के कार्य में सहायता मिलती है ।

पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विभाग पशु संवर्धन हेतु निरंतर प्रयासरत है । देश में पशु वंश सुधार हेतु अनेक जन उपयोगी योजनाएं उपलब्ध हैं जिनके अंतर्गत पशु प्रजनन विस्तार इकाइयां तथा मुख्य ग्राम योजना के अंतर्गत मुख्य ग्राम इकाइयां हैं, जिनमें अच्छी नस्ल के सांड गर्भाधान के लिये रखे गये हैं, जिनके जरिये पशुओं के गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाती है । इसके साथ-साथ कृत्रिम गर्भाधान की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत अच्छी नस्ल के सांड का वीर्य संकलन किया जाता है और फिर उस से एक नली की सहायता से कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया जाता है । क्योंकि एक बार के वीर्य से 10 मादाओं का गर्भाधान कराया जा सकता है इसलिये क्यों ज्यादा सांडों को रखकर व्यय बढ़ाया जाय ?

गोवंश विकास हेतु जर्सी प्रजनन कार्यक्रम के तहत हिमीकृत वीर्य भी कार्य में लाया जा रहा है, जिसे कई साल तक सुरक्षित रखकर अच्छी नस्ल की संतति पैदा कर सकते हैं । इस प्रकार अन्य नस्लों के सांडो का हिमीकृत वीर्य भी उपयोग में लाया जा सकता है । संकर बछिया प्राप्त कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाता है ।

सही गर्भाधान

सही गर्भाधान कार्य के लिये तीन चीजों का विशेष महत्व है । नस्ल, आहार और समय । अच्छी नस्ल की गाय हो, उसके भोजन हेतु संतुलित आहार की व्यवस्था हो तथा वह कब प्रजनन के योग्य है इस बात की जानकारी हो । बस इन तीनों बातों का ज्ञान पशु पालक को सही-सही हो जाय तो पशु संवर्धन के माध्यम से अपनी अर्थ व्यवस्था सुधार सकता है ।

प्रमुखत: अच्छी गोवंशीय नस्लें साहीवाल, मालवी, निमाड़ी, गिर, हरयाणा, थार पारकर, गालब, केनकथा आदि हैं जो दुधारू भी हैं यानी इनसे प्राप्त मादा संतति में दुग्ध उत्पादन क्षमता औसतन 10-12 लीटर प्रतिदिन हैं, जिसके जरिये गाय को खिलाने हेतु दाने में होने वाला खर्च भी निकल आता है, बच्चों को दूध भी मिल जाता है तथा बचे हुए दूध को बेचकर बचत भी कर सकते हैं । इसके साथ इनकी नर संतति से अच्छे बैल बनते हैं जो खेत में हल जोतने तथा सड़क पर बोझा ढोने के काम आते हैं, इस तरह कृषि कार्य के अतिरिक्त भार वाहन से धन अर्जित करते हैं ।

हरयाणा तथा केनकथा जाति के बैल कृषि कार्य हेतु बहुत अच्छे माने गये हैं ।

आहार व्यवस्था और पोषण

गो संवर्धन कार्य में आहार व्यवस्था अत्यंत है क्यों कि हम अच्छी से अच्छी नस्ल का पशु पालें लेकिन उसका पालन पोषण तथा आहार व्यवस्था सही नहीं है तो संतति पनप नहीं सकती और वह नष्ट हो जाती है जिसका सीधा असर किसान की आर्थिक स्थिति एवं उत्पादन पर पड़ता है ।

पशु के जन्म से ही यदि उसका पालन-पोषण ठीक तरह से हो तथा पशु को संतुलित आहार दिया जाए तो देश में दूध की नदियां बहें और श्वेत क्रांति बुलंद हो । इसके लिये पशुओं को दाना के अतिरिक्त और हरी घास के अतिरिक्त रहने योग्य घर की व्यवस्था ठीक ढंग से करना भी परम आवश्यक है । तभी पशुधन का विकास संभव होगा ।

कई फर्में संतुलित आहार बनाती हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को

देखते हुए वे किसान जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में निवास करते हैं इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं । ऐसी स्थिति में अपनी कृषि में होने वाले गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन, मक्का आदि से दाने की व्यवस्था, तिलहन से खली की व्यवस्था, गेहूं, चना आदि के भूसे से भूसे की व्यवस्था तथा चरागाहों से चारे की व्यवस्था की जा सकती है, जो पर्याप्त होगी । इसके साथ उन्नत नस्ल की घास जैसे बरसीम, नेपियर, लूसर्न, पैरा आदि जो अधिक दूध बढ़ाने वाली हैं उगा सकते हैं । उसे खिलाकर अपने पशुओं का स्वास्थ्य कायम रखते हुये उत्पादन बढ़ा सकते हैं ।

रोग नियंत्रण

पशुओं की रोगों से सुरक्षा बहुत आवश्यक है । पशुओं में कई संक्रामक बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बहुत से पशुकाल बड़ी कलवित हो संक्रामक बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बहुत से पशु-काल कलवित हो जाते हैं और पशुधन की हानि होती है । पशुधन की हानि किसान की बड़ी आर्थिक हानि है । उससे उत्पादन की कमी के कारण किसान की स्थिति और भी कमजोर हो जाती है । इस आर्थिक नुकसान से बचने के लिये पशुओं में होने वाले रोगों से बचाव करना आवश्यक है । रोग नियंत्रण के लिये हमें बीमारियों के लक्षणों का ज्ञान रहना चाहिये तथा इन भयंकर महामारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक टीकाकरण सम्पन्न कराना चाहिये ।

प्रतिबंधक टीकाकरण

संक्रामक बीमारियों का प्रकोप रोकने के लिये पहले से ही पशुओं में टीकाकरण कार्य कर दिया जाता है जिससे पशुओं में उस बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और पशु को रोग होता ही नहीं है । इस प्रकार निम्नलिखित संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण कार्य, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विभाग की संस्थाओं से संपर्क करके संपन्न कराना चाहिये । बीमारियों को कई क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है । अतः उसके पर्यायवाची नामों से भी अवगत होना जरूरी है । कुछ बीमारियां शाकाणुओं से होती हैं तथा कुछ जीवाणुओं से । इनसे अपने बहुमूल्य पशुओं की रक्षा करना आवश्यक है ।

शाकाणुओं से होने वाली प्रमुख बीमारियां निम्नलिखित हैं

1. गलघोंटू: घटसर्प, हेमोरजिक सेप्टी सिमियां, जिसमें गला सूज जाता है और पशु मर जाता है ।
2. फडसूजन : एक टंगिया या ब्लैक क्वार्टर ब्लेक इल, इसमें पैर का मास सड़ जाता है और चर्र-चर्र की आवाज आती है ।
3. छड़ रोग: चक्कर की बीमारी, तिल्ली की बीमारी या एन्थ्रेक्स–यह बीमारी अत्यंत खतरनाक है । यह पशुओं से आदमी में भी हो सकती है और प्राण घातक है ।
4. क्षयरोग: जांस डिसीज, टी.बी.
5. टिटनेस: धनुटंकार, छोटे बच्चों में बछड़ा-बछिया के नाडा पकने पर हो जाती है और पशु अकड़-अकड़ कर अपने प्राण त्याग देता है ।

जीवाणुओं से होने वाली कुछ खतरनाक बीमारियां

1. पशु माता महामारी : रिण्डर पेस्ट, पशु माता, इसमें पतले बदबूदार दस्त आते हैं ।
2. खुरपका मुंहपका : एफ.एम. डी., बेखरा, खुरफुटा, इसमें खुर तथा मुंह में छाले और घाव हो जाते हैं ।
3. पागलपन : कुत्ता काटे की बीमारी, रेबीज– इसमें पशु पागल हो जाता है । यह बीमारी जानवर से आदमी में भी हो सकती है ।

इस प्रकार इन भयंकर महामारियों के प्रति नियंत्रण के लिये निम्नलिखित तालिकानुसार टीकाकरण कार्य समयानुसार करवाना चाहिये ताकि अपने पशुओं को यह बीमारी न हो सके और किसानों को पशुधन की हानि न हो ।

रोग प्रतिबंधक टीकाकरण कार्य

घट सर्प टीकाकरण : गाय एवं भैंस जाति के पशुओं को वर्षा के पर्व टीकाकरण करवाना चाहिये क्योंकि यह रोग मुख्यतः बरसात के मौसम में होता है ।

एक टंगिया का टीकाकरण : जुगाली करने वाले सभी पशुओं में 'एक टंगिया' का टीकाकरण बरसात के पूर्व कराना चाहिये ।

पशुमाता महामारी टीकाकरण : गाय-भैंस जाति के पशुओं में माता महामारी रोकने हेतु वर्ष में कभी भी इसका टीकाकरण कराया जा सकता है ।

मुंह-खुरपका रोग टीकाकरण : भारतीय पशुओं में मुंह-खुरपका रोग टीका द्रव्य कभी भी लगवाया जाना चाहिये । इसका बूस्टर डोज भी तीन माह में लगवाने से मुंह-खुरपका रोग नहीं होता है । 6 माह के ऊपर के बछड़ों में ही इसका टीकाकरण करवा लेना चाहिये ।

छड़ रोग टीकाकरण : वर्षा के पूर्व ही इस रोग का टीकाकरण अपने पालतू पशुओं में करवा लेना चाहिये ।

कुत्ता पागलपन (रेबीज) का टीकाकरण : यह टीका द्रव्य 6 माह

से ऊपर के कुत्तों को लगाया जाता है । गाय, भैंस आदि पशुओं को पागल कुत्ते के काटने पर "पोस्ट बाइट" (कुत्ता काटने के बाद) टीका द्रव्य द्वारा टीकाकरण करवाना चाहिये । यह टीका द्रव्य कुत्ता काटने के दिन से एक सप्ताह के अंदर लगवाना शुरू कर देना चाहिये ।

यह सभी टीकाकरण कार्य पशु चिकित्सक की सलाह पर करवाना चाहिये । इससे पशु इन भयंकर बीमारियों के प्रति सुरक्षित हो जाते हैं और कभी भी जब किसी संक्रामक बीमारी का उद्‌भव होता है तो उस समय पशु बीमारी से सुरक्षित रहते हैं । इससे पशुधन की क्षति को रोका जा सकता है । अन्यथा बहुत उपयोगी पशु पैदा होने के समय ही काल कलवित हो जाते हैं और पशुधन की विशेष हानि होती है । कुछ बीमारियों में पशु मरता नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मुंह खुरपका रोग के फैलने से किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है । इस कथन से तात्पर्य यह है कि यदि पशुओं को खुरपका रोग जुताई बुआई के समय हो जाता है तो पशु इस काबिल नहीं रहता कि उसे हल में जोता जा सके जिसके परिणामस्वरूप खेती योग्य भूमि ठीक से नहीं बन पाती और इसका असर कृषि के उत्पादन पर पड़ता है । इस प्रकार किसानों को करोड़ों रुपये का घाटा आता है । इस आर्थिक क्षति को बचाने के लिये प्रतिबंधक टीकाकरण कार्य किये जाने परम आवश्यक हैं ।

इस प्रकार गो संवर्धन के मूल उद्देश्यों का पालन करते हुए पशुपालन कार्य करने से अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं की वृद्धि होगी । अवांछनीय,अनुपयोगी तथा रद्दी किस्म की संतति का धीरे-धीरे लोप हो जायेगा और उनके रख-रखाव में आने वाले खर्च में कमी होगी जिसकी तुलना में उत्पादन बढ़ेगा । इससे स्वाभाविक रूप से पशु पालक की आय बढ़ेगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी ।

गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति पशुपालन के माध्यम से सुदृढ़ करना बहुत सुगम है जिसके लिए शासन द्वारा भैंस पालन, गाय पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि की योजनायें चलायी जा रही हैं । इनके माध्यम से लघु कृषक, सीमांत कृषक एवं खेतिहर मजदूरों को इन योजनाओं के तहत ऋण एवं अनुदान की सहायता दी जा रही है ।

पशु विकास में गो संवर्धन के मुद्दों पर अमल करते हुये यदि हर पशु पालक सच्ची लगन एवं तत्परता से कार्य करे तो निस्संदेह उसे आर्थिक स्थिति सुधारने में सफलता मिलेगी ।

यदि एक पशु पालक दो गाय रखता है जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 10 लीटर प्रति गाय है तो 20 लीटर दूध रोज निकलेगा । यानी 5/- रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दिन भर के दूध की कीमत 100 रुपये आती है । जिसमें 25/- रुपये प्रति पशु उसके भोजन एवं देख-रेख के खर्च में निकाला जाये तो 50 रु. प्रतिदिन बचत होगी । गायों को संतुलित आहार मिलेगा तो वे दूध लगातार देती रहेंगी । समयानुसार उनका समयानुसार गर्भाधान कराया जाना चाहिये ताकि वे दूसरे व्यांत के लिये कराया जाना चाहिये ताकि वे दूसरे व्यांत के लिये तैयार रहें । दो माह का दोन बंद कर पुन : व्याने पर बछड़ा या बछिया होगी और फिर दूध मिलेगा । बछिया हुई तो दूध के लिये तैयार होगी और यदि बछड़ा हुआ तो हल जोतने के लिये बैल बनेगा । अत: संतति की देख-रेख करना परम आवश्यक है तभी वह आर्थिक उन्नति के उद्देश्य की पूर्ति के लायक बन सकेगी ।

पालतू पशुओं के गोबर से खाद होगी, जो कृषि योग्य भूमि की अधिक अन्न उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी । ईंधन के रूप में गोबर का उपयोग गोबर गैस संयत्र में भी किया जा सकता है जिससे चूल्हा, रोशनी आदि जलायी जा सकती है ।

दूध तथा दूध से निर्मित वस्तुओं के अभाव में आधुनिक पीढ़ी कुपोषण का शिकार हो रही है, उसे पोषक आहार मिल सकेगा । कुपोषण देश की एक गंभीर समस्या है जिसके कारण बच्चों को आये दिन नयी-नयी बीमारियां होती हैं । किसी को लकवा, किसी को रिकेट्स किसी को सूखा आदि बीमारियां होने लगती हैं । छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगता है । यह सब क्या है ? यह सब कुपोषण का प्रभाव है । ये सभी बीमारियां आवश्यक तत्वों कीकमी से होती हैं । इस प्रकार अच्छे पशु पालने से कुपोषण की समस्या का समाधान होता है । इसके साथ-साथ बचे हुए दूध को बेच कर पशु को दाना पानी की व्यवस्था और बचत के लिये लाभांश प्राप्त होता है । जिससे परिवार की व्यवस्था और खर्च चल सकता है । अत : किसानों की अर्थ व्यवस्था में गो संवर्धन का एक विशिष्ट महत्व है । किसानों की ही नहीं बल्कि जो कोई व्यक्ति इस कार्य को सुचारु रूप से चलायेंगे, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि वे अपनी अर्थ व्यवस्था स्वयं संभालने में सक्षम होंगे ।

शासन द्वारा चलाये जा रहे पशु पालन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पशु पालन का कार्य छोटे किसानों को लगन और परिश्रम से करना चाहिये जिससे वे लाभ कमा सकें और अपने आप को तथा अपने देश को समृद्धिशाली बना सकें । एक कृषि प्रधान देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते गो संवर्धन हमारा नारा होना चाहिए । तभी हम अपने राष्ट्रपिता बापू जी का सपना साकार कर सकेंगे और देश में दूध की नदियां बहाकर श्वेत क्रांति ला सकेंगे ।

कदम चूम लेती है खुद आ के मंजिल
मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे ।

स्नातक, पशु चिकित्सा
एवं पशु पालन विज्ञान
सहायक पशु शल्य चिकित्सक
प्रभारी पशु चिकित्सालय छतरपुर (म.प्र.)

कृषि वृद्धि के आधार हमारे जंगल

प्रभा पंड्या

वैज्ञानिकों का मत है कि यदि सारे वन और वृक्ष काट डाले जाएं तो बरसात बहुत थोड़ी होगी या बिल्कुल नहीं होगी और सूखा अधिक पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुभव से भी यह सिद्ध होता है कि जिन जगहों में जंगल काट डाले गये है, वहां की जलवायु बदल गई है, वर्षा कम हो रही है और गर्म हवा बहुत तेज बह रही है। गर्म हवा के बहने से मरूस्थल का विस्तार बढ़ रहा है। कच्छ और राजस्थान के मरूस्थल पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गये हैं। सभी बड़ी नदियों के किनारे जो बड़े-बड़े नाले,गड्ढे हो गये हैं, उन्हें देखकर यह अनुमान होता है कि जब वहां वृक्ष और झाड़ियां थीं तो भूमि समतल थी। गड्ढे, नाले आदि न थे। उनके कटते ही यह सब ऐसा हुआ है।

सृष्टि के प्रारम्भ से ही वृक्ष तथा वन भूमि संरक्षण और उत्पादन के प्रतीक माने जाते रहे हैं। उनके अनेक विभिन्न उत्पादन हैं, जो मनुष्य को बिना श्रम किये ही उपलब्ध होते हैं। ये उत्पादन मानव-जीवन के पालन-पोषण के लिए अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़, तूफान और रेगिस्तान आदि से हमारी रक्षा करते हैं। यह तथ्य अधिकांश लोगों को मालूम है किन्तु कम ही लोग यह जानते हैं, कि वृक्ष, भूमि को क्षरण से बचाते हैं, जिससे उत्पादन अधिक होता है। अपनी सतह में पानी बचाकर रखते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा-शक्ति कम नहीं होती और उस वायु को जिसमें हम सांस लेते हैं शुद्ध करते हैं जिससे भूमि की उर्वरा-शक्ति कायम रहती है।

भूमि-संरक्षण के लिए अन्य देशों में भी काफी कार्य किया गया है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा आदि देशों में अब तक भूमि के कटाव से पन्द्रह से पच्चीस प्रतिशत पैदावार बढ़ाई गई है।

जल-प्रवाह में अन्तर

जिस भूमि पर पेड़-पौधे, और जंगल होते हैं, उसमें बरसाती पानी धीरे-धीरे बहता है पर जिस भूमि में पौधे एवं जंगल नहीं होते हैं उसमें बरसाती पानी बहने की गति बहुत तेज होती है। एक वर्ग मील पौधे एवं वनों वाले क्षेत्र में पानी बहने की अधिकतम गति 900 क्यूसेक्स होती है। किन्तु पौधे विहीन वाले इतने ही क्षेत्र में पानी बहने की गति 1600 क्यूसेक्स होती है। फलस्वरूप इस क्षेत्र में भूक्षरण होने लगता है।

भूमि-निर्माण की समयावधि

भू-वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि एक इंच अच्छी किस्म के भूमि-निर्माण में 300 से 1000 वर्ष की समयावधि लगती है। प्रकृति को धरती पर आठ इंच पतली उपजाऊ भूमि के निर्माण में कितनी ही शताब्दियां लगी होंगी। वन पौधे और पेड़ इस जमीन को संरक्षण प्रदान करते हैं। उन्हें काट देने से थोड़े ही समय में हजारों वर्षों की अच्छी मिट्टी नष्ट हो जाती है।

जल सुरक्षित रखने का कार्य

पानी को सुरक्षित रखने तथा उसके समुचित वितरण के कार्य में पौधे, पेड़ और जंगल महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। निस्सन्देह प्राकृतिक खाद (गोबर) तथा अन्य वैज्ञानिक खादों से पैदावार में वृद्धि करने में सहायता मिलती है, किन्तु पानी के बिना खाद बेकार हो जाती है। ज़मीन में नमी रहने पर ही फसल अच्छी होती है। पेड़ और वनों से जमीन में नमी रहने पर ही फसल अच्छी होती है। अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ है कि वनस्पति, जलवायु और जल में घनिष्ठता है। इन तीनों का प्रभाव देश की कृषि और जलवायु पर यथेष्ट पड़ता है।

भूमि-संरक्षण

वृक्षों और वनों के विभिन्न उत्पादनों से देश की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ होती है एवं उसके विकास में गति आ जाती है। यह तो उसका एक पक्षीय रूप है। इसका दूसरा रूप फसल को गरम हवा तथा तूफान से बचाये रखना तथा जलवायु को मनुष्य तथा फसल के लिए उत्तम से

उत्तम बनाना है। इसके अतिरिक्त वे अपनी जड़ों से पानी को सोख कर जमीन के अन्दर तक ले जाती हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को अपने में समेटे रहती हैं। हरी पत्तियां आकाश में फैली रहती हैं। जब बरसात होती है तो पानी की बूँदें धीरे-धीरे जमीन पर पड़ती हैं। पत्तियां उन्हें आड़ देती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि तेज बरसात में भी जमीन की ऊपरी मिट्टी नहीं बहती है। ऊपरी सतह की यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिससे अधिक उत्पादन होता है। पानी जमीन के नीचे जाने से सूखा पड़ने पर भी नमी रहती है। इस प्रकार सूखा का प्रभाव फसल पर कम पड़ता है।

भूमि-संरक्षण का कार्य जो कुछ हुआ है और हो रहा है, उसे अकेले शासन ने किया है। वनों के विकास और पेड़-पौधे लगाने में पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय शासन ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। यदि देश के कृषक अपना जीवन-स्तर और देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो उन्हे भूमि एवं जल-संरक्षण के लिए वृक्ष,पौधे और वन बड़े पैमाने पर लगाना आवश्यक होगा। ऐसा करना उन्हीं के हित में होगा। जंगलों के कारण ही नदी घाटी योजनाओं को आशातीत सफलता मिली है। वर्तमान में हमारे बड़े-बड़े जलाशयों में बरसाती पानी के साथ मिट्टी बहकर आ जाती है, जिससे उनकी गहराई कम होती जाती है। इसे रोकने के लिए उन जगहों में जहां से पानी बहकर आता है, पेड़ और वन लगाना परम् आवश्यक हो गया है। उनके बड़े होते ही मिट्टी बहकर नहीं आएगी।

हवा शुद्ध करने का कार्य

औद्योगिक विकास से जहां अनेक लाभ हुए हैं, वहां थोड़ी हानि भी हुई है। इस हानि का अनुभव कम लोगों को हो रहा है। इस समय भी हर वर्ष नये-नये मिल-कारखाने देश के हर भाग में स्थापित किये जा रहे हैं। वे हमारे वायुमंडल को धुआँ और भाप से दूषित करते हैं, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। शहरी जीवन, जो पहले ही भीड़-भाड़ से परिपूर्ण है, हवा के दूषित एवं मलिन होने से और भी खराब हो गया है। पेड़-पौधे ही एक मात्र ऐसी चीजें हैं, जो हवा को शुद्ध करते हैं। इस लिए पार्क, मैदान और अन्य खाली जगहों में,जो शहरों और कस्बों के फेफड़े कहे जाते हैं, अधिक से अधिक पेड़-पौधे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे भी वृक्ष लगाने का भरसक प्रयास करना चाहिए।

जो जंगल आज हमारे रक्षक हैं और हमारे लिए अनेक प्रकार की वन-संपदा जुटा रहे हैं, उन्हीं का यदि हमारे द्वारा विनाश हो तो विकास की जगह इससे अत्यधिक हानि ही होगी, साथ ही परम् प्राकृतिक सौन्दर्य की अभूतपूर्व क्षति, जिस की पूर्ति में बहुत वर्ष लगते हैं।

हमारे वन्य-जीवन और कृषि-जीवी देश की रचना और सभ्यता का विकास उन्हीं प्राकृतिक नियमों के अनुसार हुआ है, जो देश की प्रकृति में ही सुलभ एवं जलवायु के उपयुक्त थे। भूगर्भवेत्ताओं की खोजों के अनुसार भारत का स्वरूप और आकार युग-युग से बदलता रहा है। यह ध्यान में रखना सदैव आवश्यक है। □

138, गोपाल पार्क,
रामनगर, दिल्ली-51

दो रास्ते

यह सड़क शहर से गांव में आती है
दूर दूर तक फैले खेतों को चीरती हुई
धड़धड़ाते ट्रकों और बसों पर
जोड़ती तोड़ती चली जाती है
गांव दर गांव
अपने को बांधती समेटती
छितर जाती है कच्चे रास्तों, पगडंडियों में
नये ओहदों, वर्दियों या बूटों पर अकड़ती शान से

वहीं से कुछ पगडडियां, कच्चे रास्ते मिलते जुड़ते
बदल जाते हैं डामर की पतली सड़क में
घिसटती बढ़ती है शहर को
हिचकिचाती बैलगाड़ियों पर या फिर पैदल ही
अनजान, सकुचाई सहमी सी
पेड़ों की छांव और उनके तले सुस्ताए डेरों से दूर
अपने आप को बिखराते गुम करते
शहर में कदम रखती है
सिर्फ कुचले रौंदे जाने के लिये लगातार
और टूटने जुड़ने के लिये बार बार

नवीन जोशी
ई ए 154
एस एफ एस, जी-8 एरिया
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-64

फसल बीमा योजना प्रगति पर

केन्द्र सरकार द्वारा 1985 के खरीफ मौसम से शुरु की गई बृहत फसल बीमा योजना तेजी से प्रगति पर है। यह योजना 12 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में शुरू की गई थी। इस योजना में लगभग 41.78 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बीमा के अन्तर्गत लाने के लिए 540.49 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारतीय आम बीमा निगम को प्राप्त हुए। आगामी रबी मौसम (1985-86) के दौरान 11 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश से 15 फरवरी, 1986 तक लगभग 2.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बीमा योजना के अन्तर्गत लाने के लिए बीमा धनराशि के रूप में 32.91 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आम बीमा निगम को प्राप्त हो चुके हैं। □

सातवीं योजना में लघु सिंचाई योजनाओं पर बल

जल संसाधन मंत्रालय सातवीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से किसानों को तत्काल लाभ पहुंचाने हेतु उपाय कर रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों को सहायता उपलब्ध कराने तथा भूमिगत जल के विकास हेतु राज्य स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाना है। एक अन्य योजना छिड़काव सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने की है। यह योजना भी केन्द्र द्वारा प्रायोजित की जा रही है।

इन योजनाओं से भूमिगत जल के विकास की गति में तेजी आएगी। छिड़काव/टपकाव प्रणालियों, जल टरबाइनों तथा हाइडैंट्स (बम्बे) को प्रयोग में लाने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उन ऊबड़-खाबड़ तथा पिछड़े क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिलेगा जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। घटिया पम्पसेटों को सुधारने का काम भी हाथ में लिया जा रहा है।

सातवीं योजना के दौरान लघु सिंचाई के माध्यम से 86 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तैयार करने का प्रस्ताव है। यह सातवीं योजना में तैयार की जाने वाली सिंचाई क्षमता के लक्ष्य का दो तिहाई है।

सातवीं योजना के दौरान लघु सिंचाई क्षेत्र के लिए लगभग 6,318 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है। ट्यूबवैलों तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए धन की अधिकांश व्यवस्था संस्थागत स्रोतों से की जा रही है जिनमें बैंक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय का उपयोग सतही जल योजनाओं, उपकरण खरीदने तथा गहरे ट्यूबवैलों को लगाने तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए किया जाएगा। □

गांवों के लिए नयी प्रौद्योगिकी

ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् विभिन्न राज्यों में नई प्रौद्योगिकी की सहायता से चलायी जा रही 94 ग्रामीण परियोजनाओं में सहायता कर रही है। ये परियोजनाएं कुटीर उद्योग, सौर ऊर्जा, बायो गैस, लघु सिंचाई, कम लागत वाले आवास, मछली पालन, पशु, परिवहन और फसल की कटाई एवं गहाई के विषय में नयी प्रौद्योगिकी का विकास करने से संबंधित हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् ने ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के लिए 45 आसान और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का भी पता लगाया है। इस संबंध में अधिकांश परियोजनाएं पिछले डेढ़ वर्ष से चल रही हैं और इनके प्रारंभिक परिणाम संतोषजनक रहे हैं।

ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक धन

गांवों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर जुटाने की दिशा में सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य से वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए और अधिक राशि की व्यवस्था की गई है। इन दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस दौरान 1076.30 के दौरान 49 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर कुल रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। □

प्याज को सुखाने के लिए कुछ सुझाव

प्याज की फसल तैयार होने पर जब पत्तियां सूख कर गिरने लगें तो सिंचाई बन्द करके प्याज की खुदाई कर लेनी चाहिए। प्याज को भंडार में रखने से पहले उनको सुखाना आवश्यक है जिससे उनको अधिक लम्बे समय तक भंडारित रखा जा सकता है। सुखाने के लिए प्याज की कन्दों को सीधी धूप में न रखकर छाया में फैलाया जाये। सुखाने की अवधि मौसम पर निर्भर करती है। फिर भी अच्छी तरह सुखाने के लिए छः से आठ दिन का समय काफी होता है। भंडारण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि सड़े हुए, कटे हुए तथा खराब प्याज के कंदों को अलग कर दिया जाये अन्यथा प्याज के अन्य कंदों के खराब होने का डर रहता है। □

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषाहार के सम्बन्ध में जानें

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खाद्य तथा पोषाहार के सम्बन्ध में मौलिक जानकारी होनी चाहिए क्योंकि पोषाहार शिक्षा तथा आहार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है। उन्हें पूरक आहार कार्यक्रम का संगठन तथा व्यवस्था भी करनी चाहिए। उसे आवश्यक रूप से यह जानना चाहिए कि बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का आहार करना चाहिए। तभी वे माताओं को इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि वे अपने बच्चों की खुराक में कैसे सुधार करें। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि यह आहार क्यों महत्त्वपूर्ण हैं ? कार्यकर्ताओं को उस भोजन के विषय में जानना चाहिए जिसे आम तौर पर उस क्षेत्र विशेष के लोग खाना पसन्द व नापसंद करते हैं। बच्चों को तीन कारणों से आहार की आवश्यकता होती है :–

1. खेल तथा अन्य गतिविधियों के लिए उसे पोषण देना।
2. वृद्धि तथा प्रतिपूर्ति में सहायता देना।
3. रोगों से उसकी रक्षा करना तथा उसके शरीर के सब अंगों को ठीक प्रकार से क्रियाशील रखना।

कोई एक आहार यह सभी कार्य नहीं कर सकता। बच्चे को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे विभिन्न प्रकार का आहार दिया जाए, जिससे आहार के सभी कार्य अच्छी तरह से पूरे किए जा सकें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह जानना चाहिए कि कौन सा आहार किस प्रकार के कार्य करता है। वे आहार जो शक्ति देते हैं अधिकांश लोगों की खुराक का बहुत बड़ा भाग हैं। मुख्य रूप से वे गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, कन्दमूल, चीनी, गुड़, चर्बी तथा तेल आदि हैं।

वृद्धि तथा प्रतिपूर्ति के लिए प्रोटीन से भरपूर सबसे अच्छे आहार हैं दूध व दूध से बनी वस्तुएं, अण्डा, मांस तथा मछली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्मरण रखना चाहिए कि हर आदमी के लिए ऐसी प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है यहां तक कि छोटे शिशु को भी। सभी दालें, मटर, सोयाबीन, राजमा, तिल, मूंगफली आदि भी वृद्धि व प्रतिपूर्ति के लिए अच्छे वनस्पति आहार हैं। इस के अतिरिक्त उन्हें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिससे उनका शरीर ठीक से काम कर सके। इस आहार में विटामिन तथा खनिज जैसे महत्त्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। इन तत्वों के अभाव में बच्चों को कई रोग हो सकते हैं।

कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि निम्नलिखित आहारों में से एक अथवा दो को सभी बच्चों की खुराक में अवश्य शामिल किया जाए :–

1. आंखों के लिए उपयोगी: गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, पीली तथा नारंगी रंग वाली सब्जियां तथा फल।
2. रक्त विकास के लिए उपयोगी : गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां।
3. अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी : अमरुद, आवंला, संतरे आदि।
4. स्वस्थ हड्डियों के लिए उपयोगी : गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल आदि. □

(नरचर से साभार)

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए और अधिक अनाज

केन्द्र सरकार राज्यों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान 20 लाख मी. टन अनाज मुफ्त उपलब्ध करायेगी। अनाज की इस केन्द्रीय सहायता द्वारा इस दौरान ग्रामीण विकास से संबंधित रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा 10 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। गत वर्ष, 1985-86 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा 10 लाख मी. टन गेहूं की मुफ्त सहायता दी गई थी और इसके फलस्वरूप 5 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार जुटाया गया था। □

स्व-रोजगार हेतु ऋण सुविधाएं

शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष जनवरी माह तक 34.02 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा प्राप्त 6.97 लाख आवेदनों में से 1.97 लाख आवेदनों को अग्रसारित किया जा चुका है। 1984-85 के दौरान प्रति जिला औद्योगिक केन्द्र में औसतन 14.42 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, 3.65 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के उद्यमी थे और 7.33 प्रतिशत महिला उद्यमी थे। □

कम पूंजी में अच्छा रोजगार

व्यक्ति चाहे शिक्षित हो अथवा अशिक्षित पूंजी के अभाव में उसके लिए कोई रोजगार प्रारंभ कर पाना संभव नहीं होता । परंतु बत्तख पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि दाम कम और रंग चोखा ।

गांव बेनेगांव विकास खण्ड लांजी जिला बालाघाट का 23 वर्षीय युवक श्री सुरेशकुमार बुढावने बत्तख पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं । उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी इस प्रकार है :– मैं किन्हीं कारणों से 10 वीं कक्षा तक पढ़ सका हूं । घर में खेती है परन्तु उसकी देखमाल पिताजी करते हैं । मेरे लिए रोजगार की समस्या थी । मेरे पिताजी बाजार से छोटी बत्तखों के 40 अण्डे खरीद कर लाये । इन अण्डों से मुर्गी द्वारा बच्चे निकलवाए गये जिनमें 30 मादा और 10 नर बत्तखों के बच्चे निकले । बत्तखों के 40 छोटे बच्चों को पिताजी ने मेरे सुपुर्द कर मुझे रोजगार मुहैया कराया । वही मेरी प्रारंभिक पूंजी थी । चार-पांच महीनों तक मैंने उन बच्चों को घर के उपभोग से बच जाने वाली वस्तुएं यथा–चावल के टुकड़े, भूसे आदि भोजन के रूप में दिया । इसके बाद इन्हें खुले रूप से गांव के तालाब में भोजन प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया । तब से ये तालाब से ही अपना भोजन पा लेते हैं । पांच माह के बाद इनसे अण्डे मिलने प्रारंभ हो गये । मुझे प्रतिदिन 20 से 25 अण्डे मिल जाते हैं । अण्डा विक्रय के लिए मुझे बाजार जाना नहीं पड़ता । हमारे क्षेत्र में बत्तखों के अण्डे आसानी से घर बैठे बिक जाते हैं । प्रतिदिन मुझे औसतन रु. 25/- की आमदनी हो जाती है । यह मेरे लिये शुद्ध मुनाफा होता है क्योंकि इनके भोजन पर मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता । दिन भर ये तालाब में रहते हैं । रात्रि में रहने के लिये घर का एक कमरा पर्याप्त होता है । मुर्गियों की अपेक्षा बत्तखों में बीमारी लगने का डर भी नहीं रहता । इस प्रकार अब मैं बत्तख पालन रोजगार से पूरी तरह जुड़ गया हूं । इसे और विस्तारित करने की सोच रहा हूं । मैं पूरी तरह रोजगार से लगा हूं और बचे हुए समय में पिताजी को खेती के काम में भी मदद पहुंचाता हूं । □

अनुष्ठान गीत

यज्ञ करें हम नव विकास का, दुखी वर्ग के त्राण का ।
सबकी आंखों में सपना हो जन-जन के कल्याण का ।।
अपनी सुविधाओं को बांटें,
उजली उजली किरणें छांटें,
श्रम का गीत स्वेद की सरगम, स्वर हो नव निर्माण का ।
यज्ञ करें हम नव विकास का और दुखी वर्ग के त्राण का ।।
पावन होती श्रम की बेला,
श्रमसीकर है नहीं अकेला,
वह ईश्वर है कर्मवाद का, रक्षक है हर प्राण का ।
सबकी आंखों में सपना हो जन-जन के कल्याण का ।।
झुग्गी तक पहुँची है होली,
होली मीठे स्वर की बोली,
उसमें एक रूप बसता है पूरे हिन्दुस्तान का ।
यज्ञ करें हम नव विकास का और दुखी वर्ग के त्राण का ।।

तारादत्त निर्विरोध

स्वर्ग बने हर गांव

माटी में गुण बहुत हैं, काम धेनु सम मान ।
जब लगि चाहो दुहि रहो, हाथों में हो जान ।
हाथों में हो जान चुवैगा जहां पसीना
बूंद-बूंद, हीरा-मोती या बने नगीना ।
'शून्य' धरा यदि नहीं बनाओ हल्दीघाटी
स्वर्ग बने हर गांव बहुत गुणकारी माटी ।

–शून्यआकांक्षी

द्वारा श्री कन्हैया लाल शर्मा
राजेन्द्र होटल के पास,
कोटा जं. (राज.)

झितरुराम का अड़ा काम

संवरा

जगदलपुर से मात्र 9 कि.मी. दूर स्थित 23 घरों के छोटे से गांव दुरकीगुड़ा में झितरुराम ने अपने जीवन के बहुमूल्य 46 वर्ष गुजार दिये हैं । 3 वर्ष पहले तक झितरुराम अपनी 4 एकड़ जमीन में पत्नी कमली के साथ खेती पर आश्रित था । दोनों मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करते और अपने खेतों में, पैसे देकर फसल से पूर्व हल चलवाते थे । 2 लड़कियों तथा 3 लड़कों का पिता झितरुराम यही सोच करता था कि क्या जीवन ऐसे ही गुजर जायेगा । लेकिन एक दिन झितरुराम के जीवन ने सन् 1982 का वह सबेरा भी देखा जब गांव के पटेल से उसे पता चला की कृषि शाखा स्टेट बैंक जगदलपुर ने ऋण शिविर का आयोजन किया है और ऋण पाने वालों की सूची में उसका भी नाम है ।

झितरुराम ने जब यह बात अपनी पत्नी को बतलायी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या शासन वास्तव में हम गरीबों के लिये भी कुछ सोचता है ? ग्राम के पटेल के साथ झितरुराम ने बैल खरीदने के लिये बैंक से दो हजार रुपये ऋण लिया और खुशी-खुशी घर पहुंचा । अगले दिन ही वह बैल लेने चल दिया । शाम को जब वह बैल लेकर घर आया तो उस छोटे से गांव में बैलों को देखने वालों की भीड़ लग गयी । अब झितरुराम बैलों का मालिक बन गया था । धीरे-धीरे झितरु ने एक बैलगाड़ी बनवायी और गांव के साथ आसपास के गांवों के लोगों का सामान इस बैलगाड़ी से ढोने लगा जिससे उसे अच्छी आय होने लगी । झितरु बैंक की किश्त समय पर कटाता रहा और हजार रुपया जमा करने के बाद जब उसे पता चला कि बाकी एक हजार रुपये की छूट उसे शासन द्वारा दी गयी है तो झितरु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा । अब वह बैलों का तथा बैलगाड़ी का मालिक बन गया था । अपनी इसी आय से उसने अपनी दोनों लड़कियों तथा एक लड़के की शादी भी कर दी । अब उसके दो बच्चे स्कूल जाते हैं तथा झितरुराम की खेती में तथा बैलगाड़ी चलाने में मदद भी करते हैं । उसने अपने मकान को भी ठीक करा लिया है । अब झितरुराम को बस इस बात का इंतजार है कि कब गांव में बिजली आए और वह अपने घर को विद्युत के प्रकाश से प्रकाशित कर सके । □

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
जगदलपुर

नेह बरसाओ

अखिलेश्वर

कहा मंदिर ओ मस्जिद ने, पुकारे गुरुद्वारे हैं
एक मन नेक बंदो का, रंग और रूप न्यारे हैं
सभी का धर्म मानवता
प्यार पूजन-हवन सबका
सितारे चाँद सूरज ये धरा सबकी,
गगन सबका
सभी का एक मन, साझा चमन
प्यारा वतन सबका
इसे खण्डों में मत बाँटो, बीच की खाइयाँ पाटो
भेद की बेड़ियां काटो, बिलखते भाईचारे हैं ।
यहाँ हर रोज दीवाली
बैसाखी ईद और होली
रचे मेंहदी, सजे कुंकुम
अल्पना और रंगोली
यहाँ पर हर तरफ गूँजे
प्रीत की रोशनी बोली,
यहाँ पर झाँझरें झनकें, यहाँ पर चूड़ियाँ खनकें
सुहागिन माँग में दमके सलमे-सितारे हैं,
कहाँ बारुद की लपटें
कहाँ औकात फाहे की !
रहीमो-राम में झगड़ा,
लड़ाई पंग काहे की
चदरिया जल न जाए आज
उस फक्कड़ जुलाहे की
आग भड़काओ ना भाई, संभल भी जाओ ना भाई
नेह बरसाओ रे भाई, भरे मन में जो धारे हैं ।

30, मंडी ब्लॉक
श्री करनपुर-335073
(राजस्थान)

एन./708/57
तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

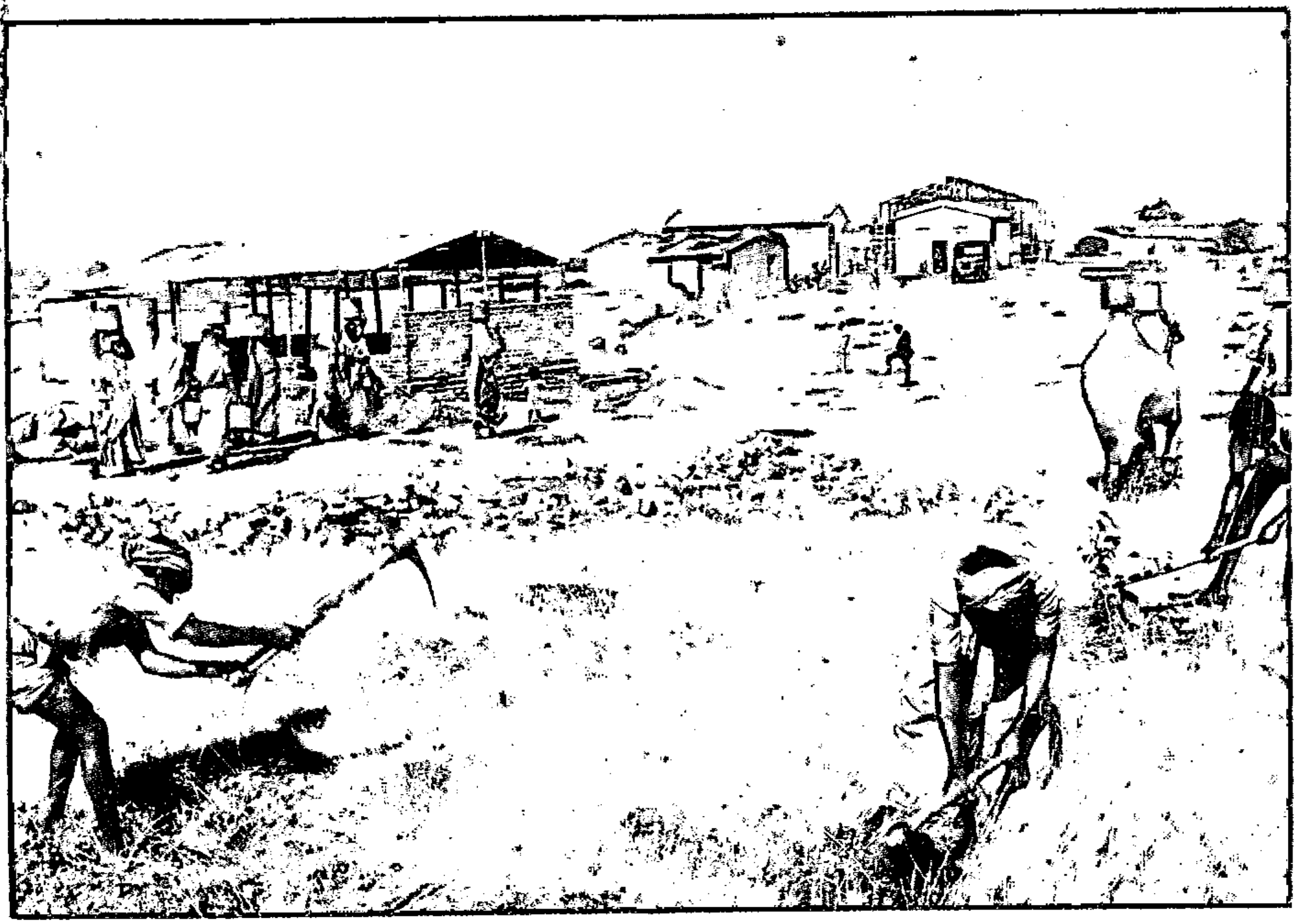

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
पंजाब नेशनल प्रैस बी-11/2 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-2
नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित